

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2011—फाल्गुन 20, शक 1932

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2011

सूचना

क्र. एफ 13-1-2011-उन्तीस-2.—मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात्, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से दो सप्ताह की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 है.
(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है.
(3) ये ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.
2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) ;

(ख) "निर्देश मानक प्रयोगशाला" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रयोगशाला ;

(ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम तथा अधिनियम के अधीन बनाए गए अन्य नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम व उन नियमों में क्रमशः उनके लिए दिए गए हैं ।

बांट, माप तथा संख्यांक की मानक इकाइयां।

3. अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथाविनिर्दिष्ट आधार इकाइयां, व्युत्पन्न इकाइयां, बांट, माप की अन्य इकाइयां, संख्यांक की आधार इकाई, बांट, माप और संख्यांक की मानक इकाइयां होंगी ।

निर्देश मानक, द्वितीयक मानक तथा कार्यकारी मानक बांट, माप तथा तुलाएं।

4. (1) निर्देश मानक, ऐसे स्थान पर, ऐसी रीति में और ऐसी अभिरक्षा में रखे जाएंगे जैसा कि अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) द्वितीय मानक और कार्यकारी मानक, बांट तथा माप ऐसे स्थान पर और ऐसी अभिरक्षा में रखे जाएंगे जैसा कि नियंत्रक निदेशित करे और ऐसी रीति में तथा ऐसे नियतकालिक अंतरालों में सत्यापित किये जाएंगे जैसा कि अधिनियम में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए और यदि अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसा सत्यापन, स्थापित मानकों के अनुरूप पाया जाता है, तो उन्हें स्ताम्पित किया जाएगा या सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(3) द्वितीय मानक तुलाएं तथा कार्यकारी मानक तुलाएं ऐसे स्थान पर और ऐसी अभिरक्षा में रखे जाएंगे जैसा कि नियंत्रक निदेश करे और ऐसी रीति में तथा ऐसे नियत कालिक अंतरालों पर सत्यापित किए जाएंगे जैसा कि अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, नियंत्रक द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और यदि अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसा सत्यापन, स्थापित मानकों के अनुरूप पाया जाता है, तो उन्हें स्ताम्पित किया जाएगा या एक सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

बांट या माप के भौतिक लक्षण, आकृति आदि।

5. प्रत्येक बांट या माप भौतिक लक्षणों, आकृति, संरचनात्मक ब्यौरों, सामग्री, कार्यशीलता, सहनशीलता और ऐसे ही अन्य ब्यौरे अधिनियम के अधीन विहित विनिर्देशों के अनुरूप होंगे।

नियंत्रक
और
विधिक
मापविज्ञान
अधिकारियों
की स्थानीय
सीमाएं.

6. अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने की, नियंत्रक तथा संयुक्त नियंत्रक की स्थानीय सीमा मध्यप्रदेश राज्य होगी तथा नियंत्रक इस प्रयोजन के लिए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्य विधिक मापविज्ञान अधिकारियों की स्थानीय सीमाएं निश्चित कर सकेगा ।

बांट या
माप या
अन्य
वस्तुओं का
निरीक्षण,
अभिग्रहण
आदि.

7. (1) विधिक मापविज्ञान अधिकारी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्येक परिसर में जांच कर सकेगा एवं किसी भी बांट या माप की या वजन करने वाले या मापने वाले यंत्र का परीक्षण कर सकेगा, जो किसी व्यापार या व्यावसायिक उपयोग के लिए हो या आशयित हो या उसका उपयोग सम्भावित हो और वह इससे संबंधित किसी भी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी किसी बांट या माप पर अंकित स्टांप प्रभावहीन कर सकेगा, यदि वह निरीक्षण में यह पाता है कि :-

(क) कोई बांट या माप जो पुनर्सत्यापन के लिये नियत होने पर भी ऐसे पुनर्सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है, अथवा

(ख) कोई बांट या माप जो अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप नहीं है :

परंतु जहां विधिक मापविज्ञान अधिकारी की राय है कि ऐसे बांट या माप में दोष या त्रुटि ऐसी नहीं है कि अंकित स्टांप को तत्काल प्रभावहीन करना अपेक्षित है तो वह उसके उपयोगकर्ता को बांट या माप में पाये गये दोष एवं त्रुटि के बारे में सूचित करेगा और उपयोगकर्ता ऐसे समय के भीतर, जो आठ दिन से अधिक नहीं होगा आवश्यक शुल्क जमा करने के पश्चात सत्यापन कराये और-

(एक) यदि उपयोगकर्ता उस कालावधि के भीतर दोष या त्रुटि दूर करने में असफल रहता है तो स्टांप को प्रभावहीन करेगा, या

(दो) यदि दोष या त्रुटि को दूर कर बांट या माप को अधिनियम द्वारा या इसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप किया जाता है तो ऐसे बांट या माप को सत्यापित व स्टांपित करेगा :

परंतु किसी बांट या माप का स्टांप प्रभावहीन करना, विधिक माप विज्ञान अधिकारी के ऐसे बांट या माप के, अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप अभिग्रहण करने की शक्ति को समाप्त या कम नहीं करता है ।

(3) विधिक मापविज्ञान अधिकारी किसी ऐसे बांट या माप को जिसके संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया जा रहा हो या किया गया प्रतीत होता हो या ऐसे अपराध के, जो उसका उपयोग आशयित या संभावित है तो वह उस बांट या माप को अभिगृहीत और निरुद्ध कर सकता है और ऐसे बांट या माप द्वारा बेचे गये या प्रदत्त या बिकवाये या प्रदत्त करवाये गये माल को भी अभिगृहीत एवं निरुद्ध कर सकता है ।

(4) जहां कोई बांट, माप या कोई वस्तु उप नियम (3) के अधीन अभिगृहीत और

निरुद्ध की गई हो, विधिक मापविज्ञान अधिकारी ऐसे बांट, माप या वस्तु से संबंधित किसी दस्तावेज या अन्य अभिलेख को भी अभिगृहीत एवं निरुद्ध कर सकेगा।

अभिगृहीत
बांट, माप
तथा वस्तु
का व्ययन.

8. (1) अभिगृहीत एवं निरुद्ध कोई ऐसा बांट या माप या दस्तावेज या चीज या माल जो किसी न्यायालय की कार्यवाही का विषय होना है, विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, और जिसे कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् विधिक मापविज्ञान अधिकारी अपने कब्जे में ले लेगा और न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्यवाही करेगा :

परन्तु न्यायालय के आदेश के अभाव में, बांट या माप या दस्तावेज या चीज या माल पर उस प्रकार कार्यवाही की जाएगी, जैसा नियंत्रक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेश दे और उसकी सामग्री को बेच दिया जाएगा और आगम राज्य सरकार को जमा किये जाएंगे।

(2) यदि अभिगृहीत कोई माल शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील के अधीन है तो विधिक मापविज्ञान अधिकारी, अपने पास या अपराध स्थल के निकट उपलब्ध तौल या माप के उपकरण सत्यापित होने पर माल की तौल या माप करायेगा और माल की वास्तविक तौल या माप की, इस प्रयोजन के लिए नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रविष्टि करेगा, और व्यापारी या उसके अभिकर्ता या ऐसे अन्य व्यक्ति के, जिसने अपराध किया है, हस्ताक्षर लेगा, प्रश्नगत माल यथास्थिति, व्यापारी या क्रेता को वापस किया जायगा। व्यापारी को माल वापस करने के मामले में यह वचन देगा कि वह त्रुटिपूर्ण माल का विक्रय उसकी त्रुटियों का सुधार किए बिना नहीं करेगा :

परन्तु यदि व्यापारी या उसका अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति (जिसने अपराध किया है) प्ररूप पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो विधिक मापविज्ञान अधिकारी, व्यापारी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के ऐसे इन्कार करने के समय उपस्थित कम से कम दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर लेगा।

(3) जहां अभिगृहीत माल किसी पैकेज में है और पैकेज मिथ्या है या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं है और ऐसे पैकेज में माल शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है वहां विधिक मापविज्ञान अधिकारी, जहां तक हो सके, ऐसे पैकेज के माल का व्ययन, उप नियम (2) के उपबंधों के अनुसार कर सकेगा :

परन्तु यह विनिश्चित करने के लिए कि क्या अभिगृहीत तथा निरुद्ध किया गया माल शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है, नियंत्रक अंतिम प्राधिकारी होगा।

(4) जहां अभिगृहीत माल किसी पैकेज में है और पैकेज मिथ्या है या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं है और ऐसे पैकेज का माल शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील नहीं है, वहां विधिक मापविज्ञान अधिकारी, व्यापारी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को (जिसने अपराध किया है) ऐसे अभिग्रहण की सूचना देने के पश्चात् पैकेज को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन के लिए रख सकेगा।

(5) अभिगृहीत या निरुद्ध कोई ऐसा बांट या माप या दस्तावेज या चीज या माल जो किसी न्यायालय की कार्यवाही के अधीन नहीं है, के संबंध में ऐसी कार्यवाही जैसी कि नियंत्रक साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश करे, उसके अभिग्रहण के साठ दिन

की समाप्ति के पश्चात् की जाएगी और उसकी सामग्री का विक्रय किया जायगा और आगम सरकार को जमा किए जाएंगे।

(6) कोई बिना सत्यापित बांट या माप जो अभिगृहीत या निरूद्ध हो राजसात नहीं किया जाएगा यदि व्यक्ति जिससे ऐसा बांट या माप अभिगृहीत किया हो, अभियोजन प्रकरण, यदि कोई हो, के निराकरण के पश्चात् वह इसे लौटाने से दस दिन की कालावधि के भीतर, विहित शुल्क का भुगतान, जिसमें स्टाम्प की वैधता की समाप्ति के पश्चात् पुनः सत्यापन के लिए देय शुल्क के अतिरिक्त सम्मिलित है, करने पर एवं इस प्रयोजन लिये ऐसे बांट या माप को अभिग्रहण करने वाला व्यक्ति अनन्य रूप से बांट या माप केवल सत्यापन एवं स्टाम्पन हेतु लौटाएगा।

बांट और माप विनिर्माताओं, मिस्त्रियों और व्यापारियों का अनुज्ञापन.

9. (1) बांट या माप का प्रत्येक विनिर्माता या मिस्त्री या व्यापारी अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त अधिकृत किया जाए, अनुसूची-एक में उपवर्णित समुचित प्ररूप में आवेदन करेगा :

परन्तु किसी निर्माता को अपने द्वारा निर्मित किसी बांट या माप का निर्माण किये जाने के राज्य से भिन्न किसी राज्य में उपयोग होने पर इसके सुधार करने के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ऐसे निर्माता को संबधित विधिक मापविज्ञान अधिकारी को सुधार कार्य के बारे में अग्रिम में सूचना देना आवश्यक होगा।

(2) बाँट या माप का प्रत्येक अनुज्ञप्त विनिर्माता या मिस्त्री या व्यापारी (डीलर) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की समाप्ति से तीस दिन पहले, नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए, अनुसूची-दो में उपवर्णित समुचित प्ररूप में आवेदन करेगा :

परन्तु अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट दर की पूर्ण दर पर अतिरिक्त फीस आवेदक द्वारा देय होगी, यदि उसे अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिए नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, द्वारा अनुज्ञात किया जाता है।

(3) किसी विनिर्माता, मिस्त्री या, व्यापारी को प्रत्येक अनुज्ञप्ति अनुसूची- तीन में उपवर्णित समुचित प्ररूप में नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।

(4) किसी विनिर्माता, मिस्त्री या व्यापारी को जारी की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, न्यूनतम एक कलैण्डर वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य होगी और नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए अनुसूची-चार में यथाविनिर्दिष्ट प्रति वर्ष की दर से शुल्क का भुगतान करने पर एक से पांच वर्ष की कालावधि के लिये नवीकृत की जा सकेगी।

(5) अनुज्ञप्ति में परिवर्तन करने या अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिये देय शुल्क अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा।

(6) नियंत्रक या जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, अनुज्ञप्त विनिर्माताओं, व्यापारियों और मिस्त्रियों का एक रजिस्टर अनुसूची-पांच में दिए गए प्ररूप में रखेगा।

(7) अधिनियम और इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त प्रत्येक विनिर्माता/मिस्त्री /व्यापारी, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार ऐसी कर्मशाला / उपस्करों / औजार आदि बनाये रखेगा।

(8) अधिनियम और इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त प्रत्येक मिस्त्री ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिये राज्य सरकार को रु. 2000 का प्रतिभूति निक्षेप देगा।

(9) अधिनियम के अधीन जारी की गई या नवीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति, उस परिसर में सहजदृश्य स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी जहाँ अनुज्ञप्ति धारी द्वारा व्यवसाय किया जाता है,

(10) अधिनियम के अधीन जारी की गई या नवीकृत अनुज्ञप्ति न तो विक्रय योग्य होगी और न ही हस्तांतरणीय होगी।

अनुज्ञप्ति
का निलंबन
तथा
रद्दकरण.

10. (1) नियंत्रक अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि इस अधिनियम के अधीन जारी की गई, नवीकृत की गई या निरंतर बनाये रखने वाली किसी अनुज्ञप्ति के धारक ने -

(एक) अनुज्ञप्ति के जारी, नवीकृत, चालू रखने के लिए किसी आवेदन में अथवा के संबंध में कोई कथन किया है जो कि सारवान विशिष्टि के संबंध में गलत है, या मिथ्या है; अथवा

(दो) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या जारी किसी आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया हो,

तो वह ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक के विरुद्ध लंबित किसी जांच के पूर्ण होने तक एसी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकता है :

परंतु ऐसी अनुज्ञप्ति तब तक निलंबित नहीं की जाएगी जब तक कि उसके धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो :

परंतु यह और कि जहां कि इस उपनियम में निर्दिष्ट कोई जांच किसी अनुज्ञप्ति के निलंबन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूर्ण नहीं होती है, वहां ऐसा निलंबन उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जायेगा।

(2) नियंत्रक उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे, यह समाधान हो जाता है कि किसी अनुज्ञप्तिधारी ने उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रकृति का मिथ्या या असत्य कथन किया है या उस उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विधि या आदेश का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा :

परंतु ऐसी कोई अनुज्ञप्ति तब तक रद्द नहीं की जाएगी जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो,

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है, ऐसे निलंबन

के तत्काल पश्चात् ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्य करना बंद कर देगा और ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के रूप में तब तक कारोबार शुरू नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे निलंबन का आदेश स्थगित या अपास्त न हो गया हो ।

(4) ऐसा प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द की गई है, यथास्थिति, ऐसे निलंबन या रद्दकरण के पश्चात्, ऐसी अनुज्ञप्ति को, इसे जारी करने वाले प्राधिकारी के सम्मुख अभ्यर्पित कर देगा ।

(5) प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारक, जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द की जा चुकी है, ऐसे रद्दकरण की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भीतर जो ऐसी तारीख से तीन मास से अधिक नहीं होगी, पर्याप्त कारण बताये जाने पर जैसा कि नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, बांट या माप का व्ययन जो कि ऐसे रद्दकरण की तारीख को उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में थे, अनुज्ञात कर सकेगा तथा ऐसा करने में उसके असफल होने की दशा में वह लिखित में किसी विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा कि वह उसका अभिग्रहण करे ।

विनिर्माताओं
आदि द्वारा
अभिलेखों
का संधारण
किया जाना.

11. अधिनियम और इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त बांट या माप का प्रत्येक विनिर्माता या मिस्त्री या व्यापारी अनुसूची-छह में दिए गये समुचित प्ररूप में रजिस्टर एवं संबंधित अभिलेखों को संधारित करेगा तथा नियंत्रक और उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारियों को मासिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेगा ।

बांटो या
मापों का
सत्यापन.

12. (1) प्रत्येक बांट या माप या तौल या माप यंत्र, जिसका व्यापार और वाणिज्य के लिए उपयोग हो रहा है या उपयोग किया जाना आशयित है, का उस राज्य के जहां ऐसे बांट या माप का उपयोग किया जाना है, विधिक मापविज्ञान अधिकारी से सत्यापित तथा स्टांपित कराया जाएगा तथा अधिनियम द्वारा या इसके अधीन यथा विनिर्दिष्ट ऐसे नियत कालिक अंतराल में पुनर्सत्यापन व स्टांपन कराया जाएगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी बांट या माप का किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिए उपयोग कर रहा है, ऐसे बांट या माप को सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए तथा अनुसूची-आठ में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी फीस का भुगतान कर विधिक मापविज्ञान अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे किसी अन्य स्थान पर, जैसा कि विधिक मापविज्ञान अधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उस तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा जिसको सत्यापन अपेक्षित है :

परंतु जहां कोई बांट या माप ऐसा है कि उसे उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता या हटाना नहीं चाहिए, वहां वह व्यक्ति नीचे यथाविनिर्दिष्ट विधिक मापविज्ञान अधिकारी को रिपोर्ट करेगा -

(एक) नवीन संस्थापन की दशा में, ऐसे बांट या माप के प्राप्त होने के पश्चात् एवं अनुमानित समय जिसमें कि ऐसा बांट या माप संस्थापित किया जाएगा और उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा, या

(दो) पूर्व से संस्थापित बांट या माप की दशा में, उस तारीख से, जिसको सत्यापन अपेक्षित है, कम से कम तीस दिन पहले रिपोर्ट करेगा,

यह विनिश्चित करने के लिए कि क्या बांट या माप ऐसा है कि उसे उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता या हटाना नहीं चाहिए, नियंत्रक अंतिम प्राधिकारी होगा ।

(3) जहां कोई बांट या माप ऐसा है कि उसे उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता या हटाना नहीं चाहिए, वहां विधिक मापविज्ञान अधिकारी, उप नियम (2) में निर्दिष्ट

रिपोर्ट प्राप्त के पश्चात्, ऐसे बांट या माप की अवस्थिति के स्थान पर उसके सत्यापन के लिये आवश्यक कदम उठायेगा।

(4) उप नियम (3) में निर्दिष्ट बांट या माप के सत्यापन के लिए उपयोक्ता, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जैसी नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(5) सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया प्रत्येक बांट या माप, स्वयं में पूर्ण होगा और साफ सुथरी हालत में सत्यापित किया जावेगा और यदि आवश्यक हों, तो विधिक मापविज्ञान अधिकारी, स्वामी या उपयोक्ता से इस प्रयोजन के लिए आवश्यक इन्तजाम करने की अपेक्षा करेगा।

(6) उपनियम (1) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक ऐसा बांट या माप जो यथावत सत्यापित और स्टाम्पित हो गया है, यदि वह खोल दिया जाता है और उस तारीख से पहले जिसको उसका सत्यापन किया जाना है पुनः संस्थापित कर दिया जाता है तो उसे उपयोग में लाये जाने से पूर्व विहित फीस का संदाय किए जाने पर सम्यक रूप से पुनः सत्यापित और स्टाम्पित किया जाएगा।

बांटों या मापों का स्टाम्पित या प्रमाणित किया जाना.

13. (1) विधिक मापविज्ञान अधिकारी, यदि जांच और सत्यापन के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा बांट या माप इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप है, तो नियंत्रक द्वारा जारी की गई एक ही प्रकार की डिजाइन की ऐसे स्टाम्प से प्रत्येक बांट या माप को स्टाम्पित करेगा, जिसमें प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये उस विधिक मापविज्ञान अधिकारी का, जो उसे स्टाम्पित करता है, आवंटित संख्यांक दिया हुआ होगा :

परंतु यदि किसी बांट या माप के आकार या स्वरूप के कारण उस पर स्टाम्प लगाना वाछनीय या साध्य नहीं है तो विधिक मापविज्ञान अधिकारी ऐसी कारवाई करेगा जैसी नियंत्रक लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(2) विधिक मापविज्ञान अधिकारी, प्रत्येक सत्यापित बांट या माप पर स्टाम्पन का वर्ष और उस वर्ष की तिमाही भी चिन्हांकित करेगा, सिवाय इसके जब ऐसे बांट या माप के आकार की प्रकृति के कारण ऐसा करना असाध्य हो।

स्पष्टीकरण. — कोई भी वर्ष चार तिमाहियों से मिलकर बना समझा जाएगा जिसमें से पहली तिमाही जनवरी, फरवरी और मार्च मास की होगी, जिसे "ए" के रूप में चिन्हांकित किया जाएगा दूसरी तिमाही अप्रैल, मई, जून मास की होगी जिसे "बी" के रूप में चिन्हांकित किया जाएगा, तीसरी तिमाही जुलाई, अगस्त, सितम्बर मास की होगी, जिसे "सी" के रूप में चिन्हांकित किया जाएगा और चौथी तिमाही अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर मास की होगी, जिसे "डी" के रूप में चिन्हांकित किया जायेगा।

(3) सत्यापन और स्टाम्पन पूरा होने पर विधिक मापविज्ञान अधिकारी अनुसूची-सात में दिए गए प्ररूप में सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(4) जहां कोई सत्यापन प्रमाण-पत्र गुम जाता है या नष्ट हो जाता है वहां सत्यापन प्रमाण-पत्र धारक, सत्यापन प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिये उस विधिक मापविज्ञान अधिकारी को, जिसने सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी किया था, तत्काल आवेदन करेगा। दूसरी प्रति जारी करने के लिए प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ बीस रुपये फीस संलग्न होगी।

(5) उपनियम (4) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर विधिक मापविज्ञान अधिकारी आवेदक को सत्यापन प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा जिस पर 'दूसरी प्रति' चिन्हांकित होगा।

(6) वह व्यक्ति, जिसे सत्यापन प्रमाण-पत्र दिया जाता है, उस प्रमाण-पत्र को उस परिसर में, जहां ऐसे बांट या माप या तौल अथवा माप उपकरण, जिनके बारे में प्रमाण-पत्र है, उपयोग में लाये जा रहे हैं, किसी सहजदृश्य स्थान में प्रदर्शित करेगा :

परंतु फेरी लगाकर बेचने वालों की दशा में प्रमाण-पत्र व्यक्ति अपने पास रखेगा और यान टैंक की दशा में सत्यापन प्रमाण-पत्र यान के साथ रहेगा।

सम्यक
स्टाम्पित
बांटों अथवा
मापों की
वैधता.

14. (1) इन नियमों के अधीन सम्यक रूप से सत्यापित और स्टाम्पित किये गये या माने गये बांट या माप, राज्य के भीतर प्रत्येक उस स्थान पर, जहां उन्हें स्टाम्पित किया गया है, अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप माना जाएगा, जब तक कि, निरीक्षण या सत्यापन करने पर यह नहीं पाया जाता कि, ऐसा बांट या माप अधिनियम के द्वारा या इसके अन्तर्गत स्थापित मानकों के अनुरूप नहीं रह गया है।

(2) इस अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से सत्यापित और स्टाम्पित किये गये या माने गये बांट या माप को केवल इस कारण से पुनः स्टाम्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि इसका उपयोग राज्य के भीतर उस स्थान को छोड़कर, जहां से मूल रूप से सत्यापित और स्टाम्पित किया गया था, अन्य स्थान पर किया जा रहा है :

परन्तु यदि, एक स्थान पर स्थापित, सत्यापित बांट या माप को तोड़कर उसे अन्य स्थान पर पुनः स्थापित किया जाता है, तो ऐसे बांट या माप को तब तक उपयोग में नहीं लाया जायेगा, जब तक कि इस बात के होते हुए भी कि, ऐसे बांट या माप का नियत कालिक पुनः सत्यापन करने का समय अभी नहीं आया है, उसे विधिवत् पुनः सत्यापित और स्टाम्पित न कर दिया गया हो।

(3) जहां किसी अनुज्ञापिधारी मिस्त्री द्वारा या ऐसे बांट या माप के स्वामी उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या उसे कब्जे में रखने वाले व्यक्ति द्वारा, सत्यापित बांट या माप की मरम्मत की जाय, ऐसा बांट या माप का तब तक उपयोग नहीं किया जायेगा जब तक कि, इसे विधिवत् पुनः सत्यापित और स्टाम्पित न कर दिया गया हो और इस बात के होते हुए भी कि, ऐसे बांट या माप का कमिक अन्तराल का पुनः सत्यापन करने का समय अभी नहीं आया हो।

सत्यापन के
लिए फीस.

15. (1) विधिक मापविज्ञान अधिकारी के कार्यालय या शिविर कार्यालय में बांट या माप के सत्यापन और स्टाम्पन के लिये देय फीस वह होगी जो अनुसूची-आठ में विनिर्दिष्ट की गई है।

(2) यदि बांट या माप के उपयोक्ता के अनुरोध पर सत्यापन, विधिक मापविज्ञान अधिकारी के कार्यालय या शिविर (कैम्प) कार्यालय से भिन्न किसी परिसर में किया जाता है तो अनुसूची-आठ में विनिर्दिष्ट दर की आधी दर पर अतिरिक्त फीस प्रभारित की जाएगी और बांट या माप का उपयोक्ता, परिसर के निरीक्षण के लिए विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा उपगत किए गए व्यय का, जिसके अन्तर्गत कार्यकारी मानकों और अन्य उपकरण के परिवहन और उसकी उठाई धराई का खर्च भी है, भुगतान करेगा जो कम से कम एक सौ रूपये के अध्यधीन होगा :

परन्तु यथावत बांट तथा माप के सत्यापन तथा स्टाम्पन के लिये कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं की जाएगी -

(एक) पेट्रोलियम उत्पाद एवं अन्य तरल पदार्थों के यान-टैंक, पानी से भिन्न तरल पदार्थों के मीटर (ईंधन डिस्पेंसर, तरल पेट्रोलियम गैस डिस्पेंसर, दूध डिस्पेंसर), संपीडित प्राकृतिक गैस डिस्पेंसर, गैर स्वचालित तौल यंत्र जैसे वेब्रिज, प्लेटफार्म मशीन, क्रेन, स्केल, स्वचालित भारात्मक भरने वाले यंत्र, स्वचालित रेल वेब्रिज, स्वचालित अनिरन्तर तौल यंत्र तथा ऐसे अन्य बांट या माप, जिसको उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता हो या हटाया नहीं जाना चाहिए; या

(दो) ऐसे बांटो तथा मापों के विनिर्माता या व्यापारी के परिसर में के बांट और माप।

(3) यदि कोई बांट या माप स्टाम्प की विधिमान्यता की समाप्ति के पश्चात् पुनः सत्यापन के लिये विधिक मापविज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है तो वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिये अनुसूची-आठ में विनिर्दिष्ट दर की आधी दर पर अतिरिक्त फीस देय होगी।

(4) किसी बांट या माप को, जो सत्यापन में ठीक न पाया जाए वह बांट माप समायोजन के लिए संबंधित व्यक्ति को उसमें पाई गई त्रुटियों की, नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जानकारी देते हुए और उन त्रुटियों को सात दिन से अनधिक की कालावधि के भीतर दूर करने की अपेक्षा करते हुए लौटा दिया जाएगा। जब आवश्यक समायोजन कर दिया गया हो तब ऐसे बांट या माप का, अनुसूची-आठ में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय कर दिए जाने पर सत्यापन किया जाएगा और यदि ठीक पाया जाए, तो स्टाम्पन किया जाएगा।

फीस का संग्रहण और उसका कोषालय में निक्षेप.

16. (1) सत्यापन या पुनः सत्यापन का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विधिक मापविज्ञान अधिकारी, संबंधित व्यक्ति को उसके द्वारा संदेय फीस की सूचना देगा और उसे नियंत्रक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति में प्राप्त करेगा और नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्ररूप में रसीद देगा, रसीद की एक प्रति अभिलेख में रखी जाएगी :

परन्तु केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा इन नियमों के अधीन संदेय फीस ऐसी रीति से वसूल की जा सकेगी जैसी नियंत्रक द्वारा निदेशित की जाए।

(2) विधिक मापविज्ञान अधिकारी, नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्ररूप में एक रजिस्टर रखेगा जो प्रतिदिन भरा जायेगा और उसमें उस दिन के दौरान संगृहीत किया गया शुल्क और अन्य प्रभारों की रकम दर्शित की जायगी।

(3) विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा सप्ताह के दौरान प्राप्त किए गए सभी संदाय शासकीय कोषालय में समुचित 'लेखा शीर्ष' के अधीन उन तारीखों या दिनों को, जो नियंत्रक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं संदत्त किए जाएंगे और उनकी रसीद अभिप्राप्त की जाएगी और इस आशय की सूचना नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी को भेजी जाएगी।

प्री पैकड वस्तुओं पर घोषणाएं.


17. प्रत्येक प्री पैकड वस्तु ऐसी मानक मात्रा या संख्या में होगी तथा प्रत्येक पैकेज पर ऐसी घोषणाएं व विवरण ऐसे तरीके से दिया जाएगा जैसा कि अधिनियम के अधीन विहित किया जाए।

कार्यकारी
मानक,
उपस्कर
आदि का
विधिक
मापविज्ञान
अधिकारी
के लिये
उपबन्ध
करना.

18. (1) प्रत्येक विधिक मापविज्ञान अधिकारी को कार्यकारी मानक बांट, माप, कार्यकारी मानक तुलाएं और ऐसे अन्य उपस्कर, जिनके अन्तर्गत तौल और माप के यंत्र भी हैं, जो समय-समय पर नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किए जाएं, दिए जाएंगे।

(2) प्रत्येक विधिक मापविज्ञान अधिकारी को ऐसी डाइयों, पंच, और / या पेपर सील/स्टीकर और ऐसे अन्य उपस्कर दिए जाएंगे जो सत्यापन स्टाम्प लगाने के लिये आवश्यक हों, जिनके डिजाइन और उनकी संख्या नियंत्रक द्वारा अनुमोदित की जायगी।

(3) प्रत्येक विधिक मापविज्ञान अधिकारी को स्टाम्प मिटाने के लिये नीचे दर्शित आठ नोक वाले तारे का समुचित आकार का पंच, पेपर सील/स्टीकर दिया जायगा।



बांटों या
माप आदि
के उपयोग
से संबंधित
उपबन्ध.

19. (1) बुलियन बांट से भिन्न किसी बांट का बुलियन के किसी संव्यवहार में उपयोग नहीं किया जाएगा जिसमें बहुमूल्य धातु, मोती, आभूषण और स्वर्ण या रजत से निर्मित अन्य वस्तुएं सम्मिलित हैं।

(2) केरेट बांट से भिन्न किसी बांट का बहुमूल्य रत्नों के किसी संव्यवहार में उपयोग नहीं किया जाएगा।

(3) केवल वर्ग "क" या "ख" की डण्डी वाली तराजू या उच्च शुद्धता श्रेणी (श्रेणी दो) या विशेष शुद्धता श्रेणी (श्रेणी एक) के गैर-स्वचलित तुलाई उपकरण का उप नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार में उपयोग किया जाएगा।

(4) अपने परिसर में किसी संव्यवहार में डण्डीवाली तराजू का उपयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस तराजू को स्टेण्ड पर या हुक द्वारा चेन पर लटकाएगा :

परंतु यह उप नियम फेरी लगाकर बेचने वाले को लागू नहीं होगा।

(5) प्रत्येक बांट या माप को साफ सुथरी हालत में और प्रकाश की उचित व्यवस्था में उपयोग किया जायगा।

(6) किसी ऐसे बांट या माप को, जो यथावत् सत्यापित और स्टाम्पित किया गया है, नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी को पूर्व सूचना दिए बिना उसके मूल स्थान से खोला (उखाड़ा) और हटाया नहीं जायगा।

(7) तौल के किसी उपकरण की यथार्थता की उचित जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये उपयोक्ता उपकरण की क्षमता के दसवें भाग या एक टन, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर सम्युक्त: सत्यापित और स्टाम्पित बांट प्रत्येक तौल के उपकरण के

स्थान पर रखेगा और उपभोक्ता भी तौल उपकरण की यथार्थता की जांच कर सकता है :

परंतु नियंत्रक उस व्यापार परिसर में जहां तौल के उपकरण एक से अधिक हैं, सत्यापित और स्टाम्पित बांट रखे जाने के लिये उनकी संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(8) पेट्रोल/डीजल पम्पों का समुचित प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु पम्प का खुदरा व्यापारी पांच लीटर (न्यूनतम विनिर्दिष्ट मात्रा 5 लीटर से कम की दशा में) और / या दस लीटर (न्यूनतम विनिर्दिष्ट मात्रा 5 लीटर से अधिक की दशा में) क्षमता का सत्यापित माप अपने परिसर में रखेगा और उसका सही प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक दिन पम्प से निकासी की जांच करेगा। कम प्रदाय की दशा में, व्यापारी पम्प के माध्यम से होने वाले प्रदाय को तत्काल रोकेगा और संबंधित विधिक मापविज्ञान अधिकारी को पम्प के पुनः सत्यापन के लिए सूचित करेगा। खुदरा व्यापारी इस आशय की एक सूचना भी अपने परिसर में सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा कि उपरोक्त माप उपभोक्ता के लिये सही प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध है और उपभोक्ता भी पम्प से प्रदाय के सही होने की जांच कर सकता है।

सक्षम
न्यायालय में
परिवाद.

20. अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के लिए कोई परिवाद नियंत्रक द्वारा या नियंत्रक अथवा संयुक्त/उप/सहायक नियंत्रक के लिखित अनुमोदन से निरीक्षक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा।

नियमों के
उल्लंघन के
लिए शास्ति

21. जो कोई इन नियमों के किसी ऐसे उपबंध का, जिसके उल्लंघन के लिए अधिनियम में किसी दण्ड का पृथक से कोई उपबंध नहीं किया गया है उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

अपील.

22. (1) अधिनियम और इन नियमों के अधीन प्रत्येक अपील अनुसूची- नौ में दिए गए प्ररूप में की जायेगी और जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी एक प्रति उसके साथ होगी।

(2) राज्य शासन को अपील करने के लिये रुपये 500/- आवेदन शुल्क तथा नियंत्रक को अपील करने के लिये यथास्थिति रुपये 200/- शुल्क या तो नकद या न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में, आवेदन के साथ भुगतान करना होगा।

अपराधों के
शमन के
लिए शास्ति.

23. (1) अधिनियम के अधीन कारित अपराधों के शमन के लिए शास्ति, अनुसूची-दस में दर्शाए अनुसार होगी। प्रशमन हेतु दिए गए आवेदन में नाम, पता, टेलीफोन नम्बर, यदि कोई हो, तथा अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का पूर्व अतिक्रमण, यदि कोई हो, अंतर्विष्ट किया जाएगा।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी जिसने अपराध पंजीबद्ध किया है, उस अपराध का प्रशमन नहीं करेगा :

परन्तु विशिष्ट मामलों में, नियंत्रक किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी को उसके द्वारा पंजीबद्ध अपराध के प्रशमन हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

अनुसूची-एक
(नियम 9 (1) देखिये)

प्ररूप ठ उ -1

मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के अधीन बांटों तथा मापों के विनिर्माता के रूप में अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन

प्रति,

.....

.....

क्रमांक	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
1.	उस विनिर्माता समुत्थान का नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति चाही गई है.	
2.	समुत्थान का पूरा पता, क्या परिसर स्वयं का है/किराये का है /अभिलेखों की सहायता से सम्यक रूप से पट्टे पर लिया गया है.	
3.	कर्मशाला (वर्कशॉप)/कारखाने के स्थापन की तारीख.	
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक के नाम एवं पता (पते), उनके पिता/पति के नाम तथा पता (पते) सहित.	
5.	कारखाने/दुकान/स्थापना/नगरपालिका व्यवसाय अनुज्ञप्ति की तारीख तथा वर्तमान रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.	
6.	वर्तमान विनिर्माण क्रियाकलापों की प्रकृति.	
7.	विनिर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित बांटो एवं मापों का प्रकार अर्थात् : (1) बांट (2) माप (3) तौल के उपकरण (4) माप के उपकरण, प्रत्येक मामले में ब्यौरों सहित	
8.	नियोजित/नियोजन हेतु प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या : (1) कुशल (2) अर्द्धकुशल (3) अकुशल (4) कार्यक्षेत्र (लाइन) में विशेष रूप से प्रशिक्षित	
9.	विनिर्मित किये जाने वाले बांटों और मापों पर ठप्पा लगाए जाने के लिए आशयित मोनोग्राम या व्यापार चिन्ह।	
10.	स्वयं की मशीनरी, औजार, उपसाधन आदि और जो बांटो, मापों आदि के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाये जाते हैं, के ब्यौरे.	
11.	कारखाना (फाउन्ड्री) / कर्मशाला में व्यवस्थित सुविधाओं के ब्यौरे चाहे स्वामित्व में हों, दीर्घकालिक पट्टे आदि पर हो.	

12.	अत्यावश्यक भागों की इस्पात ढलाई और कठोरता परीक्षण की सुविधायें या अन्य साधन ।	
13.	विद्युत् ऊर्जा की उपलब्धता.	
14.	सरकार या वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्ति का ब्यौरा, यदि हां, तो ब्यौरा दीजिए.	
15.	बैंकर, यदि कोई हो, का नाम	
16.	वेट संख्यांक/केन्द्रीय विक्रय कर संख्यांक/ वृत्तिकर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/ आयकर क्रमांक।	
17.	क्या आपने विनिर्माता अनुज्ञप्ति के लिए पहले आवेदन किया है ? यदि हां तो कब और क्या परिणाम हुआ ?	
18.	(क) विनिर्मित किये जाने वाली प्रस्तावित वस्तुएं क्या राज्य के भीतर या राज्य के बाहर विक्रय की जाएंगी ; (ख) भारत सरकार से प्राप्त माडल अनुमोदन के ब्यौरे (ग) आपके उत्पाद जिसके लिए अनुज्ञप्ति चाही गई है, नमूने (सेम्पल) निरीक्षण हेतु कब प्रस्तुत कर सकते हैं ?	
<p>आवेदक/आवेदकों द्वारा प्रमाणित किया जाए प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 को पढ़ लिया है और उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं। मैं/हम नियत अनुज्ञप्ति फीस, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर, सरकार को शीघ्र जमा कराने के लिये सहमत हूँ/हैं। ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।</p>		
स्थान :	
तारीख :		हस्ताक्षर और नाम
राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए		
आवेदन की प्राप्ति की तारीख :		
आवेदन का अनुक्रमांक :		
निरीक्षण की तारीख :		
निरीक्षण अधिकारी की अनुशंसा :		
स्थान :		हस्ताक्षर
तारीख		और पदनाम
अनुज्ञापन प्राधिकारी का अंतिम आदेश		
अनुज्ञप्ति मंजूर/नामंजूर की जाती है।		
अनुज्ञप्ति क्रमांक		
विधिमान्य	तक	
स्थान :		
तारीख		हस्ताक्षर और पदनाम

प्ररूप ठ द -1
(नियम 9 (1) देखिये)

मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के अधीन बांट तथा माप के मिस्त्री (रिपेयरर) के रूप में अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन

प्रति,
.....
.....

क्रमांक	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
1.	अनुज्ञप्ति चाहने वाले समुत्थान का नाम	
2.	कर्मशाला (वर्कशाप) का पूरा पता	
3.	(क) क्या परिसर स्वयं का है/किराये का है/अभिलेखों की सहायता से सम्यक रूप से पट्टे पर लिया गया है (ख) स्थापना की तारीख	
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) के नाम और पता (पते), उनके पिता/पति के नाम, पता (पते) सहित	
5.	दुकान/स्थापना /चालू नगर पालिका व्यवसाय अनुज्ञप्ति का क्रमांक और तारीख.	
6.	वेट / केन्द्रीय विक्रय कर / वृत्तिकर / आयकर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक आदि, यदि कोई हों.	
7.	मरम्मत किए जाने के लिए प्रस्तावित बांट तथा माप का प्रकार.	
8.	क्षेत्र, जिसमें आप संचालित करना चाहते हैं.	
9.	इस कार्यक्षेत्र (लाईन) में पूर्व अनुभव.	
10.	नियोजित या नियोजित किए जाने हेतु प्रस्तावित कर्मचारिवृंद की संख्या : (क) कुशल (ख) अर्द्धकुशल (ग) अकुशल (घ) कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मचारी .	
11.	उपलब्ध मशीनरी / औजार/ उपकरण के ब्यौरे.	
12.	विद्युत् ऊर्जा की उपलब्धता	
13.	क्या आपके पास ऋण/परीक्षण बांटों आदि का पर्याप्त स्टाक है ? ब्यौरा दीजिए	
14.	क्या आपने मिस्त्री (रिपेयरर) की अनुज्ञप्ति के लिए पूर्व में आवेदन किया है ? यदि हां, तो कब और उस का क्या परिणाम हुआ ?	

आवेदक/आवेदकों द्वारा प्रमाणित किया जाए प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 को पढ़ लिया है और उसका और उसके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं। मैं/हम नियत अनुज्ञप्ति फीस, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जानेपर, सरकार को शीघ्र जमा कराने के लिये सहमत हूँ/हैं। ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।	
स्थान :
तारीख :	हस्ताक्षर और नाम
राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए	
आवेदन की प्राप्ति की तारीख :	
आवेदन का अनुक्रमांक :	
निरीक्षण की तारीख	
निरीक्षण अधिकारी की अनुशंसा :	
स्थान :	हस्ताक्षर
तारीख	और पदनाम
अनुज्ञापन प्राधिकारी का अंतिम आदेश	
अनुज्ञप्ति मंजूर/नामंजूर की जाती है :	
अनुज्ञप्ति क्रमांक :	
विधिमान्य	तक
स्थान :	
तारीख	हस्ताक्षर और पदनाम

प्ररूप ठ घ -1
(नियम 9 (1) देखिये)

मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के अधीन बांट तथा माप के व्यापारी के रूप में अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन

प्रति,
.....
.....

क्रमांक	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
1.	अनुज्ञप्ति चाहने वाली स्थापना/दुकान/व्यक्ति का नाम.	
2.	स्थापना आदि का पूरा पता.	
3.	स्थापना की तारीख.	
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) का/के नाम और पता (पते).	
5.	चालू दुकान/स्थापना/नगर पालिका व्यवसाय अनुज्ञप्ति का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और तारीख.	
6.	वर्तमान में विक्रीत/विक्रय हेतु प्रस्तावित बांट और माप के वर्ग.	
7.	वेट / केन्द्रीय विक्रय कर / वृत्तिकर / आयकर का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.	
8.	क्या आप बांट आदि का राज्य/देश के बाहर के स्थानों से आयात करना चाहते हैं ? यदि हां, तो उनकी पूर्ति के स्रोत बताइए. (विनिर्माता के व्यापार चिन्ह/मोनोग्राम और उसका अनुज्ञप्ति क्रमांक के ब्यौरे दीजिए ; और (क) बांटों तथा मापों के आयातक का रजिस्ट्रीकरण, यदि कोई हो ; (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत में आयात किये जाने वाले माडल का अनुमोदन उपलब्ध करवाएं.	
9.	क्या आपने पूर्व में इस राज्य में या अन्यत्र व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है ? यदि हां, तो ब्यौरे दीजिए ?	
<p>आवेदक/आवेदकों द्वारा प्रमाणित किया जाए</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 को पढ़ लिया है और उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।</p> <p>मैं/हम नियत अनुज्ञप्ति फीस, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर, शासन को शीघ्र जमा कराने के लिये सहमत हूँ/हैं।</p>		

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।	
स्थान : तारीख : हस्ताक्षर और पदनाम
राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए	
आवेदन की प्राप्ति की तारीख :	
आवेदन का अनुक्रमांक :	
निरीक्षण की तारीख :	
निरीक्षण अधिकारी की अनुशंसा :	
स्थान : तारीख	हस्ताक्षर और पदनाम
अनुज्ञापन अधिकारी का अंतिम आदेश	
अनुज्ञप्ति मंजूर/नामंजूर की जाती है :	
अनुज्ञप्ति क्रमांक :	
विधिमान्य तक	
स्थान : तारीख	हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची-दो
(नियम 9 (2) देखिये)
प्ररूप द ड -2

मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के अधीन बांट तथा माप के विनिर्माता के रूप में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन

प्रति,

.....

.....

क्रमांक	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
1.	उस विनिर्माता समुत्थान का नाम और पूरा पता, जिसके लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहा गया है.	
2.	विनिर्माता अनुज्ञप्ति क्रमांक.	
3.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) का नाम/के नाम एवं पता (पते), उनके पिता/पति के नाम सहित.	
4.	(क) बांट और माप का प्रकार जिनका मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अनुसार विनिर्माण किया जाता है. (ख) क्या आप कोई परिवर्तन प्रस्तावित करते हैं ?	
5.	आपके द्वारा विनिर्मित बांट और माप पर प्रयुक्त मोनोग्राम या व्यापार चिन्ह (ट्रेडमार्क).	
6.	कर्मशाला (वर्कशाप) में उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे.	
7.	विगत 5 वर्ष में उत्पादन और विक्रय के ब्यौरे.	
8.	दुकान/स्थापना का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख.	
9.	वेट / केन्द्रीय विक्रय कर / वृत्तिकर / आयकर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.	
<p align="center">आवेदक/आवेदकों द्वारा प्रमाणित किया जाए.</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 को पढ़ लिया है और उनका या उनके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।</p> <p>मैंने / हमने नियत अनुज्ञप्ति फीस, के रूपये (रूपये) उप-खजाना / बैंक में तारीख को जमा करा दिए हैं और मूल चालान संलग्न है।</p> <p align="center">ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।</p>		
स्थान :	
तारीख :		हस्ताक्षर और पदनाम

प्ररूप द द-2
(नियम 9 (2) देखिये)

मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के अधीन बांट तथा माप के मिस्त्री (रिपेयरर) के रूप में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन.

प्रति,

.....

.....

क्रमांक	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
1.	अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहने वाले मिस्त्री (रिपेयरिंग) समुत्थान / व्यक्ति का नाम और पूरा पता.	
2.	मिस्त्री (रिपेयरर) का अनुज्ञप्ति क्रमांक.	
3.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और / या भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) का नाम एवं पता (पते), उनके पिता / पति के नाम सहित.	
4.	चालू दुकान / स्थापना / नगरपालिक व्यवसाय अनुज्ञप्ति का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और तारीख.	
5.	वेट / केन्द्रीय / विक्रयकर / वृत्तिकर / आयकर का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.	
6.	(क) बांट और माप का प्रकार (टाईप) जिनकी मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अनुसार मरम्मत की जाती है. (ख) क्या आप कोई परिवर्तन प्रस्तावित करते हैं ?	
7.	क्षेत्र जिसमें आप क्रियाशील हैं.	
8.	क्या आपके पास ऋण / परीक्षण बांट आदि का पर्याप्त स्टॉक है ?	
9.	कृपया स्टाम्पन की विशिष्टियों सहित ब्यौरे दीजिए.	
<p>आवेदक / आवेदकों द्वारा प्रमाणित किया जाए</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि मैंने / हमने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 को पढ़ लिया है और उसका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी पालन करने के लिये सहमत हूँ / हैं।</p> <p>मैंने / हमने नियत अनुज्ञप्ति फीस, के रूपये (रूपये) उप-खजाना / बैंक में तारीख को जमा करा दिए हैं और मूल चालान संलग्न है।</p> <p>ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।</p>		
स्थान :	
तारीख :		हस्ताक्षर और पदनाम

प्ररूप द घ-2
(नियम.9 (2) देखिये)

मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के अधीन बांट तथा माप के व्यापारी के रूप में अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिये आवेदन.

प्रति,
.....
.....

क्रमांक	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
1.	अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहने वाले स्थापन / दुकान / व्यक्ति का नाम.	
2.	व्यापारी का अनुज्ञप्ति क्रमांक.	
3.	स्थापन की तारीख.	
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/अथवा भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) का/के नाम और पता (पते), उनके पिता/पति के नाम सहित.	
5.	दुकान/स्थापन/चालू नगरपालिक व्यवसाय अनुज्ञप्ति का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और तारीख.	
6.	वर्तमान में बेचे गये बाँट और माप के ब्यौरे.	
7.	वेट / केन्द्रीय विक्रयकर / वृत्तिकर / आयकर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.	
8.	क्या आपका, राज्य/देश के बाहर के स्थान से बांट तथा माप का आयात करने का आशय है ? यदि हां, तो राज्य (राज्यों)/देश (देशों) से प्रदाय के स्रोत बताइये। (विनिर्माता का व्यापार चिन्ह/मोनोग्राम और उसकी अनुज्ञप्ति क्रमांक के ब्यौरे दीजिए).	

आवेदक/आवेदकों द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 को पढ़ लिया है और उसका और उसके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।

मैंने / हमने नियत अनुज्ञप्ति फीस के रूपये (रूपये
.....) उप-खजाना / बैंक में तारीख को जमा करा दिए हैं और मूल चालान संलग्न है।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।

स्थान :

तारीख :

.....
हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची-तीन
(नियम 9 (3) देखिए)
अनुज्ञप्ति प्ररूप

- मध्यप्रदेश शासन,
विधिक मापविज्ञान नियंत्रक कार्यालय
बांट, माप, तौल या माप के उपकरणों के विनिर्माता के लिए अनुज्ञप्ति
- अनुज्ञप्ति क्रमांक..... वर्ष
- (1) नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान (पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पते) निम्नलिखित के विनिर्माण के लिए
(उन बांट, माप, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के ब्यौरे सम्मिलित हैं जिनका पक्षकार द्वारा विनिर्माण किया जाना है) के लिए अनुज्ञप्ति देता है ।
- (2) यह अनुज्ञप्ति ऊपर नामित पक्षकार के लिए उसके में अवस्थित कार्यशाला की बाबत विधिमान्य है ।
- (3) यह अनुज्ञप्तितक विधिमान्य है ।
- (4) विनिर्माता नीचे दी गई शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह इनमें से किसी एक का भी अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के दायित्व के अधीन होगी ।
- (5) विनिर्माता द्वारा जिस व्यापार चिन्ह मोनोग्राम का उपयोग किया जा रहा है वह निम्नानुसार है ।

मुद्रा

दिनांक / /20

स्थान :-

हस्ताक्षर
नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान,
मध्यप्रदेश शासन

टिप्पणी :- फर्म की दशा में उसका नाम और कारबार में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम पैरा 1 में दिए जाएं।

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. व्यक्ति, जिसके पक्ष में यह अनुज्ञप्ति जारी की गई है वह :-
- (क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम और नियमों के सभी सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करेगा;
- (ख) समय-समय पर संशोधित अधिनियम या नियमों के उपबंधों के किसी अतिलंघन को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित नहीं करेगा ;
- (ग) इस अनुज्ञप्ति को उस परिसर के, जिससे इसका संबंध है, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा;
- (घ) ऐसे सभी साधारण या विशेष निदेशों का अनुपालन करेगा जो नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान द्वारा दिए जाएं;
- (ङ) कारबार के बन्द होने और/या अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की दशा में अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा;
- (च) राज्य के भीतर विनिर्मित और उपयोग के लिए आशयित यथास्थिति, बांट, माप, तौल या माप उपकरणों को विक्रय से पूर्व सत्यापन तथा स्टाम्पित करने के लिए विधिक मापविज्ञान अधिकारी को पेश करेगा और जब सत्यापन उपयोग स्थल पर (नियम 12 देखें) किया

- जाता है तो ऐसे मामले में संबंधित स्थान का क्षेत्राधिकार रखने वाले विधिक मापविज्ञान अधिकारी को सूचित करेगा;
- (छ) नियमों के अधीन अपेक्षानुसार इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की तारीख की समाप्ति से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा।
2. इस अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि राजपत्र में अधिसूचित की जाती है, तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी, जिन्हें अनुज्ञप्ति दी गई है।

नवीकरण की प्रविष्टियां

<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्ष.....के लिए नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>	<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्षके लिये नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>
<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्ष.....के लिए नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>	<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्षके लिये नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>
<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्ष.....के लिए नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>	<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्ष.....के लिए नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>

अनुज्ञप्ति प्ररूप
मिस्त्री (रिपेयरर) की अनुज्ञप्ति
(नियम 9 (3) देखिए)

मध्यप्रदेश शासन,
विधिक मापविज्ञान नियंत्रक कार्यालय
बाँट, माप, तौल या माप के उपकरणों के मरम्मत के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या

वर्ष 20

- (1) विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक निम्नलिखित की मरम्मत के लिए मेसर्स(पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पते) को अनुज्ञप्ति (यहां उन बाँटों, मापो, तौल या माप के उपकरणों के ब्यौरे सम्मिलित हैं जिनके पक्षकार द्वारा मरम्मत की जाने के लिए अनुज्ञप्ति दी जानी है।)
- (2) यह अनुज्ञप्ति ऊपर नामित पक्षकारों के लिए उनकी..... स्थितकार्यशाला की बावत् विधिमान्य है।
- (3) यह अनुज्ञप्ति तक विधिमान्य है।
- (4) मिस्त्री नीचे दी गई शर्तों का अनुपालन करेगा, यदि वह उनमें से किसी एक का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के दायित्व के अधीन होगी।
- (5) पक्षकार को निम्न उल्लिखित क्षेत्रों में बाँट, माप, तौल और माप के उपकरणों की मरम्मत करने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है।

मुद्रा

जिला

दिनांक / /20
स्थान :-

हस्ताक्षर
नियंत्रक विधिक मापविज्ञान,
मध्यप्रदेश शासन

टिप्पणी :- फर्म की दशा में उसका नाम और कारबार में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम पैरा (1) में दिए जाएं।

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. व्यक्ति, जिसके पक्ष में यह अनुज्ञप्ति जारी की गई है वह :-
- (क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम और नियमों के सभी सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करेगा;
- (ख) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के किसी अतिलंघन को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित नहीं करेगा;
- (ग) इस अनुज्ञप्ति को उस परिसर के, जिससे इसका संबंध है, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा;
- (घ) ऐसे सभी साधारण या विशेष निदेशों का अनुपालन करेगा जो नियंत्रक, विधिक माप-विज्ञान द्वारा दिए जाएं;
- (ङ) कारबार के बन्द होने और/या अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की दशा में अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा;
- (च) (एक) सम्यक् रूप से मरम्मत किए गए यथास्थिति, बाँट, माप, तौल या माप उपकरणों को उपयोगकर्ता को परिदत्त करने से पूर्व नियम 12(1) में विनिर्दिष्ट किए गये अनुसार सत्यापन तथा स्टाम्पित करने के लिए निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

(दो) बांट, माप, तौल या माप-उपकरणों के मामले में यदि उनकी उस तारीख से जिसको सत्यापन परिशोध्य हो जाता है के पूर्व, सर्विस/मरम्मत की जाती है, तो उनको उपयोगकर्ता को परिदत्त करने से पूर्व सम्यक् रूप से मरम्मत कर पुनः सत्यापन तथा स्टाम्पित करने के लिए विधिक मापविज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(छ) नियमों के अधीन अपेक्षानुसार इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की तारीख की समाप्ति से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा।

2. इस अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि राजपत्र में अधिसूचित की जाती है तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी, जिन्हें अनुज्ञप्ति दी गई है।”

नवीकरण प्रविष्टियां

<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्ष.....के लिए नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>	<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्षके लिये नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>
<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्ष.....के लिए नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>	<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्षके लिये नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>
<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्ष.....के लिए नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>	<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्ष.....के लिए नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>

अनुज्ञप्ति प्ररूप
व्यापारी की अनुज्ञप्ति का प्ररूप
(नियम 9 (3) देखिए)

मध्यप्रदेश शासन,
विधिक मापविज्ञान नियंत्रक कार्यालय
बांट, माप, तुलाई या माप के उपकरणों के व्यापारी के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या.....

वर्ष.....

- (1) नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान एतद्वारा, मेसर्स
(पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पते) को निम्नलिखित रूप में व्यापार करने के लिए
(यहां उन बांटों, मापों, तौल या माप के उपकरणों के ब्यौरे दीजिए जिनका पक्षकार द्वारा
व्यवहार किये जाने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है ।) को अनुज्ञप्ति देता है ।
- (2) यह अनुज्ञप्ति ऊपर नामित पक्षकार के लिए उसके.....
अवस्थित परिसर की बावत विधिमान्य है ।
- (3) यह अनुज्ञप्ति तक विधिमान्य है ।
- (4) व्यापारी नीचे दी गई शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का
अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के दायित्व के अधीन
होगी ।

मुद्रा

दिनांक
स्थान :-

.....
हस्ताक्षर
नियंत्रक विधिक मापविज्ञान,
मध्यप्रदेश शासन

टिप्पणी : फर्म की दशा में, उसका नाम और कारबार में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के
नाम पैरा (1) में दिए जाएं ।

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. व्यक्ति, जिसके पक्ष में यह अनुज्ञप्ति जारी की गई है वह —
- (क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम और नियमों के सभी सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करेगा;
- (ख) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अतिलंघन को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित नहीं करेगा;
- (ग) इस अनुज्ञप्ति को उस परिसर के, जिससे इसका संबंध है, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा;
- (घ) ऐसे सभी सामान्य या विशेष निदेशों का अनुपालन करेगा जो नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान द्वारा दिए जाएं;
- (ङ) कारबार के बन्द होने और/या अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की दशा में अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा;
- (च) नियमों के अधीन अपेक्षानुसार इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की समाप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा;
- (छ) किसी मानकेतर बांट या माप का न तो विक्रय करेगा, न विक्रय के लिए उनकी प्रस्थापना, प्रदर्शित या उन्हें अपने पास रखेगा ।
2. इस अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि राजपत्र में अधिसूचित की जाती है तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी, जिन्हें अनुज्ञप्ति दी गई है ।

नवीकरण प्रविष्टियां

<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्ष.....के लिए नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>	<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्षके लिये नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>
<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्ष.....के लिए नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>	<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्षके लिये नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>
<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्ष.....के लिए नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>	<p>चालू संख्याकतारीख</p> <p>वर्ष.....के लिए नवीकृत की गई ।</p> <p>नियंत्रक विधिक माप विज्ञान</p>

अनुसूची-चार
(नियम 9 (4) व (5) देखिये)
अनुज्ञप्ति से संबंधित फीस

(1) अनुज्ञप्ति जारी करने/अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए निम्नलिखित को -

(एक) विनिर्माता	रूपये 2500/- प्रति वर्ष
(दो) मिस्त्री	रूपये 500/- प्रति वर्ष
(तीन) व्यापारी	रूपये 500/- प्रति वर्ष
(2) अनुज्ञप्ति में परिवर्तन	रूपये 250/-
(3) अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये	रूपये 100/-

अनुसूची-पांच
(नियम 9(6) देखिए)

मध्यप्रदेश शासन

विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक का कार्यालय

बांटों, मापों, तौल / माप के उपकरणों के अनुज्ञप्ति प्राप्त विनिर्माताओं/मिस्त्रियों/ व्यापारियों का रजिस्ट्रीकरण

अनुज्ञप्ति क्रमांक	नवीकरण जारी करने की तारीख	विनिर्माताओं / मिस्त्रियों / व्यापारियों का नाम और पूरा पता	स्थान जहां कर्मशाला / कारखाना स्थित है	विनिर्माण / मरम्मत / बेची जाने वाली वस्तुएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रयुक्त व्यापार चिन्ह / मोनोग्राम	अनुज्ञप्ति के रद्दकरण संबंधी आदेश	अपील का परिणाम	सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

टिप्पणी- कालम (4) व्यापारियों को लागू नहीं होता है कालम (6) मिस्त्रियों और व्यापारियों को लागू नहीं होता है.

अनुसूची-छह
(नियम 11 देखिए)
प्ररूप ठ ड - 4

बांट और माप विनिर्माताओं द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

1. विनिर्माता का नाम और पता :
2. बांट या माप का वर्णन
3. (एक) विनिर्माण अनुज्ञप्ति का क्रमांक :
(दो) वह तारीख जिसको अनुज्ञप्ति जारी की गई थी :
(तीन) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की कालावधि :
4. अनुज्ञप्ति का निलंबन या प्रतिसंहरण करने वाले आदेश, यदि कोई हों, की विशिष्टियां :

अनुक्रमांक	बांटों और मापों का ब्यौरा	मास	पूर्व मास का अविक्रीत स्टाक	मास के दौरान विनिमित मात्रा	योग (4+5)	राज्य के भीतर विक्रय किए गए	
						विक्रीत मदों की संख्या	प्रेषण वाउचर की संख्या और तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

राज्य के बाहर विक्रय किये गए		प्रेषण वाउचर क्रमांक और तारीख	कुल विक्रय (7+10)	अतिशेष (6-12)	अभ्युक्तियां
राज्य का नाम	विक्रीत मदों की संख्या				
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

प्ररूप ठ द - 4
(नियम 11 देखिए)

बांटो और मापों के संबंध में मिस्त्री द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

मिस्त्री का नाम और पता अनुज्ञप्ति क्रमांक

अनुज्ञप्ति की तारीख

अनुक्रमांक	तारीख	उपयोक्ता का नाम जिससे प्राप्त हुआ है	मरम्मत के लिये बुक की गई मर्दें और उनकी संख्या	उपयोक्ता को दी गई रसीद क्रमांक और तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

मरम्मत प्रभार की रकम	सत्यापन फीस की रकम	प्रभारित कुल रकम	उपयोक्ता को वापस करने की तारीख	अभ्युक्तियां
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्ररूप ठ घ - 4
(नियम 11 देखिए)

बांटो और मापों के व्यापारी द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

1. व्यापारी का नाम और पता :.....
2. बांट या माप का वर्णन :.....
3. (एक) व्यापारी अनुज्ञप्ति क्रमांक
(दो) वह तारीख जिसको अनुज्ञप्ति जारी की गई थी
(तीन) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की कालावधि
4. अनुज्ञप्ति का निलम्बन या प्रतिसंहरण करने वाले आदेश, यदि कोई हों, की विशिष्टियां -

अनुक्रमांक	बांटों और मापों का ब्यौरा	मास	पूर्व मास का अविक्रीत स्टाक	मास के दौरान राज्य के भीतर से लाया गया	मास के दौरान राज्य के बाहर से लाया गया	योग (4+5+6)	राज्य के भीतर विक्रय किए	
							विक्रीत मदों का क्रमांक	प्रेषण बाउचर का क्रमांक और तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

राज्य के बाहर विक्रय किये गए			कुल विक्रय (8+10)	शेष (7+13)	अभ्युक्तियां
विक्रीत मदों की संख्या	प्रेषण बाउचर का क्रमांक और तारीख	राज्य का नाम			
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

अनुसूची-सात
(नियम 13(3) देखिए)
मध्यप्रदेश शासन
विधिक मापविज्ञान नियंत्रक कार्यालय
सत्यापन प्रमाण पत्र

विधिक मापविज्ञान अधिकारी का नामकमांक

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने आज परिक्षेत्र के निवासी
.....के, नीचे वर्णित बांटों, मापों आदि को सत्यापित और स्टाम्पित / नामंजूर कर दिया है।

मात्रा	अभिधान		तौल के उपकरण / माप के उपकरण				सत्यापन फीस रु. पैसे	वहन, प्रवहन संयोजन प्रभार आदि
	बांट	माप	क्षमता	वर्ग	विनिर्माता	प्रकार		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

खजाना रसीद/धन रसीद कमांक..... दिनांक के
माध्यम से कुल रु. जमा किए गए.
मरम्मत की गई/उपयोग किया गया ।

..... (हस्ताक्षर)

अगला सत्यापन शोध्य

.....
विधिक मापविज्ञान अधिकारी

टिप्पणी :- अस्वीकृत बांटों और मापों आदि के मामले में विधिक मापविज्ञान अधिकारी प्रत्येक मद के सामने नामंजूर करने के कारणों को उल्लिखित करते हुए नामंजूर करने का पृथक् प्रमाण-पत्र देगा ।

अनुसूची-आठ
(नियम 12(1) तथा 15(1) देखिये)

बांटों तथा मापों और बांट तथा माप के उपकरणों के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए देय फीस :-

(1) बांट :

(क) बुलियन बांट

अभिधान	फीस प्रतिनग (रू. पै.)
(1)	(2)
10 किग्रा	30.00
5 किग्रा	20.00
2 किग्रा	20.00
1 किग्रा	20.00
500 ग्राम	15.00
200 ग्राम	15.00
100 ग्राम	15.00
50 ग्राम	15.00
20 ग्राम	15.00
10 ग्राम	15.00
5 ग्राम	15.00
2 ग्राम	15.00
1 ग्राम	15.00
500 मि.ग्रा.	15.00
200 मि.ग्रा.	15.00
100 मि.ग्रा.	15.00
50 मि.ग्रा.	15.00
20 मि.ग्रा.	15.00
10 मि.ग्रा.	15.00
5 मि.ग्रा.	15.00
2 मि.ग्रा.	15.00
1 मि.ग्रा.	15.00

(ख) कैरेट बाट :

अभिधान	फीस प्रतिनग (रू. पै.)
(1)	(2)
500 कैरेट (100ग्रा.)	20.00
200 कैरेट (40ग्रा.)	20.00
100 कैरेट (20ग्रा.)	20.00
50 कैरेट (10ग्रा.)	20.00
20 कैरेट (4ग्रा.)	20.00
10 कैरेट (2ग्रा.)	20.00
5 कैरेट (1ग्रा.)	20.00
2 कैरेट (400मि.ग्रा.)	20.00
1 कैरेट (200मि.ग्रा.)	20.00
0.5 कैरेट (100मि.ग्रा.)	20.00
0.2 कैरेट (40मि.ग्रा.)	20.00
0.1 कैरेट (20मि.ग्रा.)	20.00
0.05 कैरेट (10मि.ग्रा.)	20.00
0.02 कैरेट (4मि.ग्रा.)	20.00
0.01 कैरेट (2मि.ग्रा.)	20.00
0.005 कैरेट (1मि.ग्रा.)	20.00

(ग) बेलनाकार घुण्डीवाले बांट :

अभिधान	फीस प्रतिनग (रू. पै.)
10 कि.ग्रा.	20.00
5 कि.ग्रा.	20.00
2 कि.ग्रा.	15.00
1 कि.ग्रा.	10.00
500 ग्राम	5.00
200 ग्राम	5.00
100 ग्राम	5.00
50 ग्राम	5.00
20 ग्राम	5.00
10 ग्राम	5.00
5 ग्राम	5.00

2 ग्राम	5.00
1 ग्राम	5.00

(घ) चादरी धातु बांट :

अभिधान	फीस प्रतिनग (रु. पै.)
500 मि.ग्रा.	5.00
200 मि.ग्रा.	5.00
100 मि.ग्रा.	5.00
50 मि.ग्रा.	5.00
20 मि.ग्रा.	5.00
10 मि.ग्रा.	5.00
5 मि.ग्रा.	5.00
2 मि.ग्रा.	5.00
1 मि.ग्रा.	5.00

(ङ.) लौह हैक्सागोनल, नौब टाइप बांट तथा समानांतर पाईप वाले बांट :

अभिधान	फीस प्रतिनग (रु. पै.)
50 कि.ग्रा.	25.00
20 कि.ग्रा.	20.00
10 कि.ग्रा.	20.00
5 कि.ग्रा.	20.00
2 कि.ग्रा.	15.00
1 कि.ग्रा.	10.00
500 ग्राम	5.00
200 ग्राम	5.00
100 ग्राम	5.00
50 ग्राम	5.00
20 ग्राम	5.00
10 ग्राम	5.00
5 ग्राम	5.00
2 ग्राम	5.00
1 ग्राम	5.00

(च) उच्च क्षमता वाली तौल मशीनों के परीक्षण हेतु मानक बांट :

अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि संबंधित तत्स्थानी फीस:

अभिधान	0.5/10000	3.3/10000, 1.7/10000, 1.0/10000
100 कि.ग्रा.	75.00	50.00
200 कि.ग्रा.	150.00	100.00
500 कि.ग्रा.	300.00	200.00
1000 कि.ग्रा.	750.00	500.00
2000 कि.ग्रा.	1500.00	1000.00
5000 कि.ग्रा.	3000.00	2000.00

(2) क्षमता माप, प्रूविंग माप एवं यान टैंक को सम्मिलित करते हुए :

अभिधान	फीस प्रतिनग (रू. पै.)
100 लीटर और अधिक	पहले 100 लीटर के लिये 50 रुपये, और 7 रुपये प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए
50 लीटर	50.00
20 लीटर	20.00
10 लीटर	20.00
5 लीटर	10.00
2 लीटर	10.00
1 लीटर	10.00
500 मि.ली.	10.00
200 मि.ली.	10.00
100 मि.ली.	10.00
50 मि.ली.	10.00
20 मि.ली.	10.00
10 मि.ली.	10.00
5 मि.ली.	10.00
2 मि.ली.	10.00
1 मि.ली.	10.00

(3) लम्बाई माप :

(क) अनम्य

अभिधान	फीस प्रतिनग (रू. पै.)
2 मीटर	20.00
1 मीटर	15.00
0.5 मीटर	10.00
1.00 मीटर	25.00
(प्रत्येक से.मी. पर मापांकित)	
0.5 मीटर	20.00
(प्रत्येक से.मी. पर मापांकित)	

(ख) फेब्रिक या प्लास्टिक / बुना हुआ / इस्पात फीता —

वर्ग तीन	रू. 10.00/मीटर
वर्ग दो	रू. 15.00/मीटर
वर्ग एक	रू. 25.00/मीटर

(ग) फोल्डिंग स्केल्स :

अभिधान	फीस प्रतिनग (रू. पै.)
1 मीटर	15.00
0.5 मीटर	10.00

(घ) सर्वेक्षण चैन :

अभिधान	फीस प्रतिनग (रू. पै.)
30 मीटर	100.00
20 मीटर	100.00

(4) डण्डी वाली तराजू (वर्ग क और ख) :

अभिधान	फीस प्रतिनग (रू. पै.)
200 कि.ग्रा.	400.00
100 कि.ग्रा.	300.00
50 कि.ग्रा.	150.00
20 कि.ग्रा.	150.00

10 कि.ग्रा.	150.00
5 कि.ग्रा.	100.00
2 कि.ग्रा.	100.00
1 कि.ग्रा.	100.00
500 ग्राम और उससे कम	60.00

(5) डण्डी वाली तराजू (वर्ग ग और घ) :

अभिधान	फीस प्रतिनग (रु. पै.)
1000 कि.ग्रा.	200.00
500 कि.ग्रा.	200.00
300 कि.ग्रा.	200.00
200 कि.ग्रा.	100.00
100 कि.ग्रा.	100.00
50 कि.ग्रा.	20.00
20 कि.ग्रा.	20.00
10 कि.ग्रा.	20.00
5 कि.ग्रा.	15.00
2 कि.ग्रा.	15.00
1 कि.ग्रा.	15.00
500 ग्राम और उससे कम	10.00

(6) गैर स्वचालित तौल उपकरण यांत्रिक (एनेलॉग इंडिकेशन)
साधारण एवं मध्यम यथार्थता वाली श्रेणी चार तथा तीन से संबंधित :

अभिधान	फीस प्रतिनग (रु. पै.)
400 टन	4000.00
300 टन	3000.00
200 टन	3000.00
150 टन	2000.00
100 टन	2000.00
80 टन	2000.00
60 टन	2000.00
50 टन	2000.00
40 टन	2000.00

30 टन	2000.00
25 टन	2000.00
20 टन	2000.00
15 टन	2000.00
10 टन	1000.00
5 टन	500.00
3 टन	400.00
2 टन	400.00
1500 कि.ग्रा.	300.00
1000 कि.ग्रा.	300.00
500 कि.ग्रा.	300.00
300 कि.ग्रा.	200.00
250 कि.ग्रा.	200.00
200 कि.ग्रा.	100.00
150 कि.ग्रा.	100.00
100 कि.ग्रा.	100.00
50 कि.ग्रा.	100.00
30 कि.ग्रा.	100.00
25 कि.ग्रा.	60.00
20 कि.ग्रा.	60.00
15 कि.ग्रा.	30.00
10 कि.ग्रा.	30.00
5 कि.ग्रा.	30.00
3 कि.ग्रा.	30.00
2 कि.ग्रा.	30.00
1 कि.ग्रा.	15.00
500 ग्राम और उसके नीचे	15.00

(7) मध्यम एवं सामान्य यथार्थता वाले वर्ग तीन तथा चार के गैर स्वचालित तौल उपकरण इलेक्ट्रॉनिक :

अभिधान	फीस प्रतिनग (रू. पै.)
400 टन	4000.00
300 टन	3000.00
200 टन	3000.00

150 टन	2000.00
100 टन	2000.00
80 टन	2000.00
60 टन	2000.00
50 टन	2000.00
40 टन	2000.00
30 टन	2000.00
25 टन	2000.00
20 टन	2000.00
15 टन	2000.00
10 टन	1000.00
5 टन	1000.00
3 टन	500.00
2 टन	500.00
1500 किग्रा	250.00
1000 किग्रा	250.00
500 किग्रा	250.00
300 किग्रा	200.00
250 किग्रा	200.00
200 किग्रा	200.00
150 किग्रा	200.00
100 किग्रा	200.00
50 किग्रा	200.00
30 किग्रा	200.00
25 किग्रा	200.00
20 किग्रा	100.00
15 किग्रा	100.00
10 किग्रा	100.00
5 किग्रा	100.00
3 किग्रा	100.00
2 किग्रा	100.00
1 किग्रा	100.00
500 ग्राम और उससे कम	100.00

(8) यांत्रिक तथा इलेक्ट्रानिक दोनों के उच्च यथार्थता वाले वर्ग दो के और विशेष यथार्थता वाले वर्ग एक के तौल उपकरण :

अभिधान	फीस (रु. पै.)
50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 किग्रा से अधिक	500.00
50 किग्रा से अनधिक किन्तु 10 किग्रा से अधिक	250.00
10 किग्रा से अनधिक	200.00

(9) स्वचालित तौल मशीन :

अभिधान	फीस (रु. पै.)
100 टन से अधिक	4000.00
100 टन से अनधिक किन्तु 50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 किग्रा से अधिक	500.00
50 किग्रा से अनधिक किन्तु 10 किग्रा से अधिक	250.00
10 किग्रा से अनधिक	200.00

(10) आयतन मापक उपकरण :

(क) डिसपेंसिंग पम्प प्रत्येक पम्प	1000.00
(ख) योगकरण काउंटर्स	500.00
(ग) अन्य उपकरण	
पहले 100 लीटर के लिए रु. 500 और	
प्रत्येक 100 लीटर या उसके भाग के लिए रूपये 250	
50 लीटर से अधिक किन्तु 100 लीटर	500.00
से अनधिक	
50 लीटर से अनधिक किन्तु 20 लीटर से अधिक	250.00
20 लीटर से अनधिक	200.00

(11) फलो (प्रवाह) मीटर :

फलो -रेट (प्रवाह दर)

100 लीटर /मिनिट तक रू. 2000 /-

100 लीटर से ऊपर किंतु

500 लीटर/मिनिट तक रू. 3000 /-

500 लीटर/मिनिट

से अधिक रू. 5000 /-

(12) रेखीय मापक उपकरण :

ऑटो रिक्शा / टैक्सी मीटर

रू. 100 /-

अन्य मीटर

रू. 50 पहले 1 किमी या उसके
भाग के लिए और रू. 5/-
प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या
उसके भाग के लिए

(13) डाक्टरी थर्मामीटर :

रू. 5.00 / थर्मामीटर

(14) पानी का मीटर :

रू. 25.00

(15) प्याला मापनी :

30 मिली ली रू. 50.00

60 मिली ली रू. 50.00

100 मिली ली रू. 50.00

(16) सीएनजी आटो फ्यूल पम्प तथा एल

रू.1000.00

पी जी डिस्पेंसर मोटर यान के लिए : (प्रति इकाई)

(17) काउंटर मशीन्स :

(एक) 10 किग्रा क्षमता तक : रू. 20.00

(दो) 10 किग्रा क्षमता से अधिक : रू. 50.00

(18) रक्त चाप मापक यंत्र :

रू. 50.00

(19) स्टोरेज टैंक्स एवं वाट्स : 25000 लीटर तक के लिये रू. 5000.00

25000 लीटर से अधिक के लिये रू. 25000.00

अनुसूची-नौ
(नियम 22 (1) देखिये)
अपील का प्ररूप

विधिक मापविज्ञान अधिकारी / नियंत्रक विधिक मापविज्ञान के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए प्ररूप :-

1. अपीलार्थी का नाम और पता
2. विधिक मापविज्ञान अधिकारी / नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान के आदेश का क्रमांक तथा तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई है।
3. क्या अपीलार्थी यह चाहता है कि उसे स्वयं सुना जाए या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उसे सुना जाए
4. अपील के आधार

अनुसूची-दस
(नियम 23 देखिये)
अपराधों के प्रशमन के लिए राशि

क्रमांक.	धारा एवं अपराध की प्रकृति, दांडिक धारा एवं प्रथम अपराध के लिये दांडिक धारा में प्रावधानित अर्थदण्ड	प्रशमन राशि	
(1)	(2)	(3) *	(4) #
1	धारा 8 (3) मानक बांट, माप या संख्यांक से भिन्न बांट, माप या संख्यांक का उपयोग करना, दाण्डिक धारा 25, अधिकतम रु. 25000	रु. 100	(1) बांट या माप के उपयोग हेतु रु. 2500 (2) संख्यांक के उपयोग हेतु रु. 5
2	धारा 8 (4) मानक के गैर अनुरूप बांट या माप का निर्माण करना, दाण्डिक धारा 27, अधिकतम रु. 20000	—	(1) बांट/माप के लिये रु. 2500 (2) तौल/माप यंत्र के लिये रु. 5000
3	धारा 10 विहित बांट, माप या संख्या से भिन्न द्वारा वस्तु के संबंध में संव्यवहार या सौदा या संविदा करना, दाण्डिक धारा 28, अधिकतम रु. 10000	रु. 100	रु. 1000
4	धारा 11 बांट या माप या संख्यांक की मानक इकाईयों से भिन्न में मूल्य बताना या जारी करना या प्रदर्शित करना आदि, दाण्डिक धारा 29, अधिकतम रु. 10000	रु. 100	रु. 1000
5	संविदा या अनुबंध में विनिर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा की मांग करना या किसी वस्तु या चीज को अतिरिक्त में प्राप्त करना दाण्डिक धारा 30, अधिकतम रु. 10000	रु. 100	रु. 5000

6	धारा 17 निर्माता, व्यापारी अथवा मिस्त्री द्वारा अभिलेखों, पंजियों के संधारण तथा मांगे जाने पर अनुपालन करना बांट, माप, दस्तावेज, पंजी की मांग पर प्रस्तुत नहीं करना, दाण्डिक धारा 31, अधिकतम रू. 5000	—	(1) व्यापारी रू. 1000 (2) मिस्त्री रू. 2000 (3) निर्माता रू. 5000
7	धारा 18(1) प्री पैकबंद वस्तु के निर्माता/व्यापारी/आयातकर्ता द्वारा अपेक्षा के पालन के संबंध में, दाण्डिक धारा 36 (1), अधिकतम रू. 25000	रू. 100	(1) व्यापारी रू. 2000 (2) निर्माता/आयातकर्ता रू. 5000
8	धारा 18(1) प्री पैकबंद वस्तु के निर्माता/आयातकर्ता द्वारा शुद्ध मात्रा की आवश्यकता के पालन के संबंध में, दाण्डिक धारा 36 (2), न्यूनतम रूपये 10000 व अधिकतम रू. 50000	—	रू. 15000
9	धारा 23 बांट या माप का अनुज्ञप्ति सहित ही निर्माण दाण्डिक धारा 45 अधिकतम रू. 20000	—	रू. 5000
10	धारा 23 बांट या माप का अनुज्ञप्ति प्राप्ति पर ही मरम्मत/विक्रय का अनुपालन दाण्डिक धारा 46 अधिकतम रू. 5000	—	(1) विक्रय रू. 1000 (2) मरम्मत रू. 2000
11	धारा 24 असत्यापित बांट या माप का संव्यवहार या संरक्षण में उपयोग, दाण्डिक धारा 33 न्यूनतम रू. 2000 व अधिकतम रू. 10000	रू. 2000	रू. 2500
12	धारा 33 असत्यापित बांट या माप का विक्रय, दाण्डिक धारा 33 न्यूनतम रू. 2000 व अधिकतम रू. 10000	—	रू. 2500
13	धारा 34 अमानक बांट या माप द्वारा वस्तु का विक्रय अथवा प्रदाय, दाण्डिक धारा 34 न्यूनतम रू. 2000 व अधिकतम रू. 10000	रू. 2000	रू. 2500
14	धारा 35 अमानक बांट या माप द्वारा सेवा प्रदायगी, दाण्डिक धारा 35 न्यूनतम रू.2000 व अधिकतम रू. 5000	रू. 2000	रू. 2500
15	धारा 47 अनुज्ञप्ति से छेड़छाड़, दाण्डिक धारा 47 अधिकतम रू. 20000	—	(1) व्यापारी रू. 1000 (2) मिस्त्री रू. 2000 (3) निर्माता रू. 5000
16	धारा 53(3) अधिनियम के अधीन बने किसी नियम का प्रावधान, दाण्डिक धारा 53(3) अधिकतम रू. 5000	रू. 100	रू. 500

नोट — संकेत * फेरीवालों/साप्ताहिक बाजार के विक्रेताओं के लिये राजीनामा राशि के लिये इंगित करता है।

संकेत # फेरीवालों/साप्ताहिक बाजार के विक्रेताओं के अलावा अन्य के लिये राजीनामा राशि के लिये इंगित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, उपसचिव.

No. F 13-1-2011-XXIX-2

Bhopal, the 9th March 2011**NOTICE**

The following draft of the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011, which the State Government, after consultation with the Central Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010), is hereby published as required by sub-section (4) of the said section for information of all persons likely to be effected thereby and Notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of two weeks from the date of publication of this Notice in the "Madhya Pradesh Gazette "

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT RULES**Short title, extent and commencement.**

1. (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011.
- (2) They extend to the whole of Madhya Pradesh.
- (3) They shall come into force on such date as the State Government may, by notification appoint and different dates may be appointed for different provisions of these rules.

Definitions.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010);
 - (b) "Reference Standards Laboratory" means a Laboratory set up by the Central Government under the Act;
 - (c) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.
- (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act and other rules made under the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and those rules.

Standard units of weights, measures and numerals.

3. The base units, derived units, other units of weights, measures and base unit of numeration as specified by or under the Act shall be the Standard units of weights, measures and numerals.

Reference Standards, Secondary Standards and Working Standards weights, measures and balances.

4. (1) The Reference Standards shall be kept at such place, in such manner and in such custody as specified by or under the Act.

(2) The Secondary Standards and the Working Standards weights and measures shall be kept at such places and in such custody as the Controller may direct and shall be verified in such manner and at such periodical intervals as specified by or under the Act and shall, if found on such verification to conform to the standards established by or under the Act, be stamped or a certificate of verification will be issued.

(3) The Secondary Standard balances and the Working Standard balances shall be kept at such places and in such custody as the Controller may direct and shall be verified in such manner and at such periodical intervals as specified by or under the Act, by the Controller or any Officer authorized by him and shall, if found on such verification to conform to the Standards established by or under the Act, be stamped or a certificate of verification will be issued.

Physical characteristics, configuration etc. of weights or measures.

5. Every Weight or Measure shall conform as regards physical characteristic, configuration, constructional details, materials, performance, tolerances and such other details, to the specifications prescribed under the Act.

Local limits of Controller and Legal Metrology Officers.

6. To exercise the powers and discharge the functions conferred or imposed by or under the Act, the local limit of Controller and Joint Controller shall be the State of Madhya Pradesh and the Controller may, by general or special order, define the local limits of other Legal Metrology Officers for this purpose.

Inspection, seizure etc. of weight or measure or other goods.

7. (1) A Legal Metrology Officer may visit, every premises within the local limits of his jurisdiction to inspect and test any weight or measure or weighing or measuring instrument which is being or is intended or likely to be used in any trade and commerce and may inspect any record, register or other document relating thereto.

(2) The Legal Metrology Officer may obliterate the stamp on any weight or measure, if it is found during inspection that:-

(a) Any weight or measure which being due for re-

verification has not been submitted for such re-verification, or

(b) Any weight or measure, which does not conform to the Standards established by or under the Act:

Provided that where the Legal Metrology Officer is of opinion that the defect or error in such weight or measure is not such as to require immediate obliteration of the stamp, he shall inform the user, about the defect or error found in the weight or measure and call upon user to remove the defect or error and get it verified after depositing the necessary fee within such time, not exceeding eight days and -

(i) if the user fails to remove the defect or error within that period, shall obliterate the stamp, or

(ii) if the defect or error is so removed as to make the weight or measure conform to the standards established by or under the Act, shall verify and stamp such weight or measure :

Provided further that the obliteration of the stamp on any weight or measure shall not take away or abridge the power of the Legal Metrology Officer to seize such weight or measure in accordance with the provisions of the Act.

(3) A Legal Metrology Officer may seize and detain any weight or measure in relation to which an offence under this Act is being, or appears to have been committed, or which is intended or likely to be used in the commission of such offence, and may also seize and detain any goods sold or delivered, or cause to be sold or delivered, by such weight or measure.

(4) Where any weight, measure or any article is seized and detained under sub-rule (3), the Legal Metrology Officer may also seize and detain any document or other record relating to such weight, measure or article.

Disposal of seized weights, measures and goods.

8. (1) Any weight or measure or document or thing or goods seized and detained, which is to be the subject of proceedings in a court shall be produced by the Legal Metrology Officer before the court, and after conclusion of the proceedings, be taken possession of by the Legal Metrology Officer and dealt with in accordance with the orders of the court:

Provided that in the absence of the orders of the court, weight or measure or document or thing or goods shall be dealt with as the Controller may, by general or special order, direct and the material thereof

shall be sold and the proceeds credited to the State Government.

(2) If any goods seized is subject to speedy or natural decay, the Legal Metrology Officer shall have the goods weighed or measured on a verified weighing or measuring instrument available with him or the nearest place of offence and enter the actual weight or measure of the goods in a form specified by the Controller for this purpose and shall obtain the signature of the trader or his agent or such other person who has committed the offence. The goods in question shall be returned to the trader or the purchaser, as the case may be. In the case of goods returned to the traders he shall give an undertaking that he shall not sell the defective goods without rectifying the defects thereon :

Provided that if the trader or his agent or the other person (who has committed the offence) refuses to sign the form, the Legal Metrology Officer shall obtain the signature of not less than two persons present at the time of such refusal by the trader or his agent or other person.

(3) Where the goods seized and detained are contained in a package and the package is false or does not conform to the provisions of the Act or any rules made thereunder and the goods in such package is subject to speedy or natural decay, the Legal Metrology Officer so far as may be, may dispose of the goods in such package in accordance with the provisions of sub-rule (2):

Provided that the Controller shall be the final authority to decide whether the goods seized and detained are subject to speedy or natural decay.

(4) Where the goods seized and detained are contained in a package and the package is false or does not conform to the provisions of the Act or any rules made thereunder and the goods in such package is not subject to speedy or natural decay, the Legal Metrology Officer may retain the package for the purpose of prosecution under this Act after giving the trader or his agent or the other person (who has committed the offence) a notice of such seizure.

(5) Any weight or measure or document or thing or goods seized or detained, which is not to be the subject of proceedings in a court, shall, after the expiry of sixty days of its seizure, be so dealt with as the Controller

may, by general or special order, direct and the materials thereof shall be sold and the proceeds credited to the Government.

(6) Any unverified weight or measure, seized and detained, shall not be forfeited if the person from whom such weight or measure was seized, agrees to get the same verified and stamped, after disposal of prosecution case if any, within a period of ten days of the return, on payment of the prescribed fee including the additional fee payable for re-verification after the expiry of the validity of the stamp and for this purpose, the person making the seizure of such weight or measure shall return such weight or measure exclusively for the verification and stamping.

**Licencing of
manufacturer,
repairer and
dealer of
Weights and
Measures.**

9. (1) Every manufacturer or repairer of, or dealer in, weights or measures shall make an application for the issue of a licence to the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf, in the appropriate form set out in Schedule I :

Provided that no licence to repair shall be required by a manufacturer to repair weights or measures manufactured by him and used in a State other than the State of manufacture of the same, but the manufacturer has to inform in advance the concerned Legal Metrology Officer about the repairing.

(2) Every licenced manufacturer or repairer of, or dealer in weights or measures shall make an application for the renewal of the licence within thirty days before the expiry of validity of the licence to the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf, in the appropriate form set out in Schedule II:

Provided that an additional fee at full the rates specified in Schedule IV shall be payable by the applicant if he is permitted by the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf to make an application for the renewal of a licence within a period of three months from the date of expiry of the licence.

(3) Every licence to a manufacturer, repairer or dealer shall be issued by the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf, in the appropriate form set out in Schedule III.

(4) Every licence issued to a manufacturer, repairer, or dealer shall be valid for a minimum period of one calendar year and may be renewed for a period of one to

five years, by the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf on payment of per year fee as specified in the Schedule IV.

(5) The fee payable for the alteration of a licence or for the issue of a duplicate licence shall be half of the licence fee as specified in Schedule IV.

(6) The Controller or such other Officer as may be authorized by him in this behalf shall maintain a register of licenced manufacturers, dealers and repairers in the form set out in Schedule V.

(7) Every manufacturer / repairer / dealer licenced under the Act and these rules shall maintain such workshop / equipments / tools etc. as the case may be, as per the terms and conditions of the licence.

(8) Every repairer licenced under the Act and these rules shall furnish a security deposit of Rs. 2000 for each licence to the State Government.

(9) Every licence issued or renewed under this Act shall be displayed in a conspicuous place in the premises where the licensee carries on business.

(10) A licence issued or renewed under this Act shall be neither saleable nor transferable.

**Suspension and
cancellation of
licence.**

10. (1) The Controller or such other Officer authorized by him on this behalf may, if he has any reasonable cause to believe that the holder of any licence issued, renewed or continued under this Act has -

(i) made any statement in, or in relation to, any application for the issue, renewal or continuance of the licence, which is incorrect or false in any material particular, or

(ii) contravened any provision of the Act or any rule or order made thereunder,

suspend such licence, pending the completion of any inquiry against the holder of such licence:

Provided that no such licence shall be suspended unless the holder thereof has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action:

Provided further that where the inquiry referred to in this sub-rule is not completed within a period of three months from the date of suspension of a licence, such suspension shall, on the expiry of the period aforesaid, stand vacated.

(2) The Controller or such other Officer authorized by him in this behalf may, if he is satisfied, after making

such inquiry as he may think fit, that the holder of a licence has made a false or incorrect statement of the nature referred to in sub-rule (1), or has contravened any law or order referred to in that sub-rule, cancel such licence:

Provided that no such licence shall be cancelled, unless the holder thereof has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.

(3) Every person whose licence has been suspended shall, immediately after such suspension, stop functioning as such licensee and shall not resume business as such licensee until the order of such suspension has been stayed or vacated.

(4) Every licensee whose licence has been suspended or cancelled shall, after such suspension or cancellation, as the case may be, surrender such licence to the authority by which such licence was issued.

(5) Every licensee whose licence has been cancelled shall, within a period of thirty days from the date of such cancellation, or within such further period, not exceeding three months from such date, as the Controller or such other Officer authorized by him in this behalf may, on sufficient cause being shown, allow, dispose of the weights or measures which were in his possession, custody or control on the date of such cancellation and in the event of his failure to do so, may authorize any Legal Metrology Officer in writing, to seize the same.

Records to be maintained by manufacturers, etc.

11. Every manufacturer or repairer of, or dealer in weight or measure licenced under the Act and these rules shall maintain registers and related records in the appropriate form set out in Schedule VI and also submit monthly report to the Controller and officers authorized by him in this behalf.

Verification of weights or measures.

12. (1) Every weight or measure or weighing or measuring instrument used or intended to be used in trade and commerce shall got to be verified and stamped from the Legal Metrology Officer in the State in which such weight or measure is put to use and shall got to be re-verified and stamped in such periodical intervals as specified by or under the Act.

(2) Every person using any weight or measure in any transaction or for protection shall present such weight

or measure for verification / re-verification and pay such fee as specified in the Schedule VIII at the office of the Legal Metrology Officer or at such other place as the Legal Metrology Officer may, specify in this behalf on or before the date on which the verification falls due:

Provided that where any weight or measure is such that it cannot, or should not be moved from its location, the person shall report to the Legal Metrology Officer as specified below -

(i) in case of new installation after receiving such weight and measure and approximate time in which the weight or measure will be installed and ready for use, or

(ii) in case of earlier installed weight or measure at least thirty days in advance of the date on which the verification falls due.

The Controller shall be the final authority to decide whether the weight or measure is such that it cannot, or should not be moved from its location.

(3) Where any weight or measure is such that it cannot, or should not, be moved from its location, Legal Metrology Officer shall take necessary steps for the verification of such weight or measure at the place of its location after receiving the report referred in sub-rule (2).

(4) For the verification of weight or measure referred to in sub-rule (3) the user shall provide such facilities as may be specified by the Controller.

(5) Every weight or measure presented for verification shall be complete in itself and shall be verified in a clean condition, and if necessary, the Legal Metrology Officer shall require the owner or user to make necessary arrangement for the purpose.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) every weight or measure which has been verified and stamped in situ, if it is dismantled and re-installed before the date on which the verification falls due, shall get be duly re-verified and stamped on payment of the prescribed fee, before being put into use.

Stamping and certification of weight or measure.

13. (1) The Legal Metrology Officer shall stamp every weight or measure, if after testing and verification, he is satisfied that such weight or measure conforms to the standards established by or under the Act, with a stamp of uniform design, issued by the Controller, which shall indicate the number allotted for

administrative purpose to the Legal Metrology Officer by whom it is stamped:

Provided that if by reason of the size or nature of any weight or measure it is not desirable or practicable to put a stamp thereon, the Legal Metrology Officer shall take such action as may be directed by the Controller by a general or a special order in writing.

(2) The Legal Metrology Officer shall also mark the year and its quarter of stamping on every verified weight or measure except when the size or nature of such weight or measure makes it impracticable.

Explanation.— A year shall be deemed to consist of four quarters of which first quarter shall be of the months of January, February and March which shall be marked as **A**; second quarter shall be of the months of April, May and June which shall be marked as **B**, third quarter shall be of the months of July, August and September which shall be marked as **C** and fourth quarter shall be of the months of October, November and December which shall be marked as **D**.

(3) On completion of verification and stamping the Legal Metrology Officer shall issue a certificate of verification in the form set out in Schedule VII.

(4) Where a certificate of verification is lost or destroyed, the holder of the certificate of verification shall forthwith apply to the Legal Metrology Officer who had issued the certificate, for the issue of a duplicate certificate of verification. Every such application for the issue of a duplicate certificate shall be accompanied by a fee of rupees twenty.

(5) On receipt of an application under sub-rule (4), the Legal Metrology Officer shall issue to the applicant a duplicate copy of the certificate of verification marked 'DUPLICATE'.

(6) The person to whom a certificate of verification is issued shall exhibit the same in a conspicuous place in the premises where the weights, measures or weighing or measuring instruments to which the certificate relates are used:

Provided that in the case of itinerant vendor, the certificate shall be kept with the person and in the case of vehicle tank, the certificate shall be kept with the vehicle.

Validity of weight or measure duly stamped.

14. (1) A weight or measure which is, or is deemed to be, duly verified and stamped under these rules shall be deemed to conform to the standards established by or under the Act at every place within the State in which it is stamped unless it is found on inspection or verification that such weight or measure has ceased to conform to the standards established by or under the Act.

(2) No weight or measure which is, or is deemed to be, duly verified and stamped under this Act shall require to be re-stamped merely by reason of the fact that it is being used at any place within the State other than the place at which it was originally verified and stamped:

Provided that where a verified weight or measure, installed at one place is dismantled and re-installed at a different place, such weight or measure shall not be put into use unless it has been duly re-verified and stamped, notwithstanding that periodical re-verification of such weight or measure has not become due.

(3) Where a verified weight or measure has been repaired, whether by a licensed repairer or by the person owning and possessing the same, such weight or measure shall not be put into use unless it has been duly re-verified and stamped, notwithstanding that periodical re-verification of such weight or measure has not become due.

Fee for verification.

15. (1) Fees payable for verification and stamping of weight or measure at the office or camp office of the Legal Metrology Officer shall be as specified in Schedule VIII.

(2) If, at the request of the user of weight or measure, verification is done at any premises other than the office or camp office of the Legal Metrology Officer, an additional fee shall be charged at half the rate specified in the Schedule VIII and the user of the weight or measure shall pay the expenses incurred by the Legal Metrology Officer for visiting the premises including the cost of transporting and handling the Working Standards and other equipment subject to a minimum of rupees one hundred:

Provided that no additional fee shall be charged for verification and stamping of weights and measures in situ of -

(i) vehicle tanks for petroleum products and other

liquids, Meters for Liquids Other than Water (Fuel Dispensers, Liquid Petroleum Gas Dispensers, Milk Dispensers), Compressed Natural Gas Dispensers, Non-automatic Weighing Instruments like weighbridges, platform machines, crane scale, Automatic Gravimetric Filling Instruments, Automatic Rail-weighbridges, Discontinuous Totalizing Automatic Weighing Instruments, and such other weight or measure which cannot, and should not be moved from its location, or

(ii) Weight or measure in the premises of manufacturer or dealer of such weight or measure.

(3) If a weight or measure is presented to the Legal Metrology Officer for re-verification after expiry of the validity of the stamp, an additional fee at half the rates specified in Schedule VIII shall be payable for every quarter of the year or part thereof.

(4) A weight or measure which on verification is found to be incorrect shall be returned to the person concerned for adjustment informing him, in a proforma specified by the Controller, of the defects found in the weight or measure, and calling upon him to remove the defects within a period not exceeding seven days. When the necessary adjustment has been carried out, such weight or measure shall be verified on payment of the fees specified in Schedule VIII and shall be stamped if found correct.

Collection of fees and deposit into the Treasury.

16. (1) Before commencing the work of verification or re-verification, the Legal Metrology Officer shall inform the person concerned of the fees payable by him and shall receive the same in the manner as specified by the Controller and issue a receipt on the form approved by the Controller, one copy of such receipt being kept on record :

Provided that fees payable by a department of the Central or State Government under these rules may be realized in such manner as may be directed by the Controller.

(2) The Legal Metrology Officer shall maintain a register, in the form approved by the Controller, which shall be written up from day-to-day and shall show the amount of fees and other charges collected during the day.

(3) All payment received by the Legal Metrology Officer

during the week shall be paid into the Government Treasury under the appropriate "Head of Account" on such dates or days as may be specified by the Controller from time to time, and a receipt thereof be obtained and an intimation to that effect be sent to the Controller or other officer authorized by him in this behalf.

Declarations on pre-packaged commodities.


17. Every pre-packaged commodity shall be in such standard quantity or number and every package shall bear thereon such declarations and particulars in such manner as may be prescribed under the Act.

Provision of supply of Working / Secondary Standards, equipment, etc. to the Legal Metrology Officer.

18. (1) Every Legal Metrology Officer shall be provided with Working / Secondary Standards weights, measures, Working / Secondary Standard balances, and such other equipment including weighing and measuring devices as may be approved by the Controller from time to time.

(2) Every Legal Metrology Officer shall be provided with such dies, punches and / or *paper seal / sticker* and such other equipment as may be necessary for affixing the verification stamp, the design and number of which are to be approved by the Controller.

(3) Every Legal Metrology Officer shall be provided with punches of suitable sizes of eight-pointed star as shown below and / or *paper seal / sticker for obliterating stamps*.



Provisions relating to use of weight or measure etc.

19. (1) No Weight other than a Bullion Weight shall be used in any transaction in bullion including precious metals, pearls, ornaments or other articles made of gold or silver.

(2) No weight other than a carat weight shall be used in any transaction in precious stones.

(3) Only beam scale of class A or class B category or a non automatic weighing instrument of high accuracy class (class II) or special accuracy class (class I) shall be used in any transaction referred to in sub-rules (1) and (2).

(4) Every person using a beam scale in any transactions

in his premises shall suspend the same to a stand or to a chain by a hook:

Provided that this sub-rule shall not apply to itinerant vendors.

(5) Every weight or measure shall be used in a clean condition and in proper lighting arrangement.

(6) Any weight or measure, which has been verified and stamped in situ, shall not be dismantled and removed from its original site without prior intimation to the Controller or other officer authorized by him in this behalf.

(7) To ensure a proper check of the accuracy of a weighing instrument the user shall keep at the site of each weighing instrument duly verified and stamped weights equal to one - tenth of the capacity of the instrument or one tonne which ever is less and consumer can also check the accuracy of the weighing instrument:

Provided that the Controller may specify the number of verified and stamped weights to be maintained in the trade premises where the number of weighing instruments are more than one.

(8) To ensure proper delivery of the petrol / diesel pumps, the retail dealer of the pump shall keep a verified 5 liter (minimum specified quantity of dispensing pump is less than 5 liter) and / or 10 liter (minimum specified quantity of dispensing pump is 5 liter or more) capacity measure in his premises and check the output from the pump every day to ensure its correct delivery. In case of any short delivery the dealer shall stop the delivery through the pump immediately and inform the Legal Metrology Officer concerned to re-verify and stamp the pump. The retail dealer shall also display in a conspicuous place in the premises a notice intending that above measures are available for the consumer to ensure correct delivery and consumer can also check the correctness of delivery of the pumps.

Complaint to competent court.

20. For offences punishable under the Act a complaint in writing shall be made by Controller or by an Inspector or any officer having the approval in writing from Controller / Joint / Deputy / Assistant Controller to the competent court.

**Penalty for
contravention of
rules.**

21. Whoever contravenes any provision of these rules, for the contravention of which no punishment has been separately provided in the Act, shall be punished with fine, which may extend to five thousand rupees.

Appeal.

22- (1) Every appeal under the Act and these rules shall be preferred in the form set out in Schedule IX, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against.

(2) An application for appeal to State Government shall be accompanied by fee of Rs. 500 and for appeal to Controller shall be accompanied by fee of Rs. 200 paid either by cash or by affixing court fee stamp for the said value, as the case may be.

**Sum for
compounding of
offences.**

23. (1) The sum for compounding of offences committed under the Act shall be as given in Schedule X. The application for compounding shall contain the name, address, telephone number, if any, and previous violation, if any, of the provisions of the Act or rules made thereunder.

(2) Legal Metrology Officer who has registered the offence shall not compound that offence:

Provided that the Controller may authorize a Legal Metrology Officer for compounding the offence registered by him in certain cases.

Schedule - I

[See rule 9 (1)]

Form - L M - 1

Application for licence as manufacturer of weights & measures under the
Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011

To,

No.	To be filled by the Applicant	Comments of the inspection officer
(1)	(2)	(3)
1.	Name of the manufacturing concern for which licence is desired.	
2.	Complete address of the concern. Whether premises are owned / rented / taken on lease duly supported by documents.	
3.	Date of Establishment of workshop / factory.	
4.	Name (s) and address (s) along with their father's Name / husband's name and address (s) of proprietor (s) and / or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company	
5.	The date and current registration number of factory / shop/ establishment / Municipal Trade licence.	
6.	Nature of manufacturing activities at present.	
7.	The type of weights and measures proposed to be manufactured viz : (i) Weights (ii) Measures (iii) Weighing Instruments (iv) Measuring Instruments, with details in each case.	
8.	The number of persons	

	employed/proposed to be employed (i) (ii) Semi-skilled (iii) Unskilled (iv) Specialist trained in the line		
9.	The monogram or trade mark intended to be imprinted on weights and measures to be manufactured.		
10.	Details of machinery, tools accessories owned and used for manufacturing weights, measures etc.		
11.	Details of foundry / workshop facilities arranged. Whether ownership, long term lease etc.		
12.	Facilities of steel casting and hardness testing of vital parts etc or other means.		
13.	Availability of electric energy.		
14.	Whether any loan received from Government or Financial Institution. If so, give details.		
15.	Name of bankers, if any.		
16.	VAT Number / CST Number /Professional Tax registration Number / IT Number		
17.	Have you applied previously for a manufacturer's licence? If so, when and with what results?		
18.	(a) Whether the item (s) proposed to be manufactured will be sold within the State or out side the State; (b) Details of Model Approval received from Government of India; (c) When can you produce for inspection samples of your products for which licence is desired?		

To be certified by the applicant (s)

Certified that I / We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued thereunder.

I / We agree to deposit the Scheduled licence fees with Government as soon as required to do so by the Licencing Authority.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place :	Signature and Name
Date :	

To be filled in by Departmental Officer of the State Government

Date of Receipt of Application :	
Serial Number of application :	
Date of inspection :	
Recommendation of Inspecting Officer :	
Place :	Signature and Designation
Date :	

Final orders of Licencing Authority

Licence granted / refused :	
Licence Number:	
Valid till :	
Place :	Signature and Designation
Date :	

Form L R - 1

[See rule 9 (1)]

Application for licence as repairer of Weights & Measures under the
Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011

To,

No.	To be filled by the Applicant	Comments of the inspection officer
(1)	(2)	(3)
1.	Name of the concern seeking the licence.	
2.	Complete address of the workshop.	
3.	(a) Whether premises are owned/rented taken on lease duly supported by documents. (b) Date of establishment.	
4.	Name (s) and address (s) along with their father's/husband's name of proprietor (s) and/or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.	
5.	Number and date of shop/establishment/current Municipal Trade Licence.	
6.	VAT / CST / Professional Tax / IT Tax registration Number etc, if any.	
7.	The type of weights and measures proposed to repaired	
8.	Area in which you wish to operate.	
9.	Previous experience in the line.	
10.	Number of staff employed or proposed to be employed: (i) Skilled (ii) Semi-skilled (iii) Unskilled (iv) Employees trained in the line	
11.	Details of machinery / tools / accessories available	
12.	Availability of electric energy.	

13.	Have you sufficient stock of loan / test weights. etc.? Give details.		
14.	Have you applied previously for a repairer's licence? If so, when and with what results?		

To be certified by the applicant(s)

Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued thereunder.

I/We agree to deposit the Scheduled licence fees with Government as soon as required to do so by the Licensing Authority.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place :	Signature and Name
Date :	

To be filled in by Departmental Officer of the State Government

Date of Receipt of Application :	
Serial Number of application :	
Date of inspection :	
Recommendation of Inspecting Officer :	
Place :	Signature and Designation
Date :	

Final orders of Licencing Authority

Licence granted / refused :	
Licence Number:	
Valid till :	
Place :	Signature and Designation
Date :	

Form L D-1

[See rule 9 (1)]

Application Form for Licence as Dealer in Weights & Measures under the
Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011

To,

No.	To be filled by the Applicant	Comments of the inspection officer
(1)	(2)	(3)
1.	Name of the establishment/shop/person seeking the licence.	
2.	Complete address of the establishment etc.	
3.	Date of establishment.	
4.	Name (s) and address (s) of proprietors and / or partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.	
5.	Number and date of Registration Number of current shop/establishment/Municipal Trade licence.	
6.	Categories of weights and measures sold/proposed to be sold at present.	
7.	Registration Number of VAT / CST / Professional Tax / Income Tax.	
8.	Do you intend to import weights, etc. from places outside the State / Country? If so indicate sources of supply. (Give details of manufacturer's trade mark / monogram and his licence number) and provide (a) Registration of Importer of Weights and Measures, if any (b) Approval of model imported into India by Central Government.	

9.	Have you applied previously for a dealer's licence, either in this State or elsewhere? If so give details?		
To be certified by the applicant(s)			
<p>Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued thereunder.</p> <p>I / We agree to deposit the Scheduled licence fees with Government as soon as required to do so by the Licensing Authority.</p> <p>All the information furnished above is true to the best of my / our knowledge.</p>			
Place :		Signature and Name	
Date :			

To be filled in by Departmental Officer of the State Government	
Date of Receipt of Application :	
Serial Number of application :	
Date of inspection :	
Recommendation of Inspecting Officer :	
Place :	Signature and Designation
Date :	

Final orders of Licencing Authority	
Licence granted / refused :	
Licence Number:	
Valid till :	
Place :	Signature and Designation
Date :	

Schedule - II

[See rule 9 (2)]

Form R M-2

Application for renewal Licence as Manufacturer of Weights & Measures
under the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011

To,

No.	To be filled by the Applicant	Comments of the inspection officer
(1)	(2)	(3)
1.	Name and complete address of the manufacturing concern for which renewal of licence is desired.	
2.	Manufacturing Licence No.	
3.	Name (s) and address (s) along with their father's / husband's name of proprietor (s) and/or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.	
4.	(a) Type of weights and measures which are manufactured as per licence granted. (b) Do you propose any change.	
5.	The monogram or trade marks used on weights and measures manufactured by you.	
6.	Details of workshop facilities available.	
7.	Details of production and sales in the last 5 years.	
8.	Number and date of shop/establishment Registration Number.	
9.	Registration Number of VAT/ CST / Professional Tax / Income Tax.	

To be certified by the applicant (s)	
<p>Certified that I / We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued thereunder.</p> <p>I / We have deposited the Scheduled licence fees of Rs. (Rupees) to the Sub-Treasury / Bank on and the original Challan is enclosed.</p> <p>All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.</p>	
Place :	
Date :	Signature and Name

Form R R-2

[See rule 9 (2)]

Application for renewal Licence as repairer of Weights & Measures under the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011

To,

No.	To be filled by the Applicant	Comments of the inspection officer
(1)	(2)	(3)
1.	Name and complete address of the repairing concern / person seeking renewal of the licence .	
2.	Repairer's Licence Number.	
3.	Name (s) and address (s) along with their father's / husband's name of proprietor (s) and/or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.	

4.	Registration Number and date of current shop / establishment/Municipal Trade Licence.		
5.	Registration Number of VAT/ CST / Professional Tax/Income Tax.		
6.	(a)The Type of weights and measures repaired as per licence granted. (b) Do you propose any change?		
7.	Area in which you are operating.		
8.	Have you sufficient stock of loan/test weights etc.?		
9.	Please give details with particulars of stamping		

To be certified by the applicant (s)

Certified that I / We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I / We have deposited the Scheduled licence fees of Rs.
(Rupees) to the Sub-Treasury / Bank on and the original challan is enclosed.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place :

Date :

Signature and Name

Form R D-2

[See rule 9 (2)]

Application for renewal Licence as Dealer in Weights & Measures under
the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011

To,

No.	To be filled by the Applicant	Comments of the inspection officer
(1)	(2)	(3)
1.	Name of the establishment / shop / person seeking the renewal of licence.	
2.	Dealer's Licence Number.	
3.	Date of establishment.	
4.	Name (s) and address (s) along with their father's / husband's name of proprietor (s) and /or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.	
5.	Registration Number and date of shop / establishment / current Municipal Trade Licence.	
6.	Details of weights and measures sold at present.	
7.	Registration Number of VAT / CST /Professional Tax / Income Tax.	
8.	Are you intending to import weights and measures from places outside the State / Country? If so, indicate sources of supply from the State (s) / Country (s) (Give details of manufacturer's trade mark / monogram and his licence number.)	

To be certified by the applicant (s)	
<p>Certified that I / We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued thereunder.</p> <p>I / We have deposited the Scheduled licence fees of Rs. (Rupees) to the Sub-Treasury / Bank on and the original challan is enclosed.</p> <p>All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.</p>	
Place :	Signature and Name
Date :	

Schedule - III

[See rule 9 (3)]

Licensing Forms

Form of Licence of Manufacturer

GOVERNMENT OF MADHY PRADESH

OFFICE OF THE CONTROLLER OF LEGAL METROLOGY

Licence to manufacture, weights, measures, weighing or measuring instruments.

Licence No.....

Year

1- The Controller of Legal metrology hereby grants to
.....

(Name and address of party or parties) a licence to manufacture the following:-

(Include details of the weights, measures, weighting instruments or measuring instruments that are licenced to be manufactured by the party).

2- The licence is valid for the party named above in respect of his workshop located at

3- This licence is valid from to

4- The manufacturer shall comply with the conditions noted below. If he fails to comply with anyone of these, his licence is liable to be cancelled.

5- The trade mark monogram being used by the manufacturer is as under.

.....

(Signature)

Controller of legal Metrology
Govt. of Madhya Pradesh

(Seal)

Date

Place

Licensing Forms
Form of Licence of Repairer
[See rule 9 (3)]

GOVERNMENT OF MADHY PRADESH
OFFICE OF THE CONTROLLER OF LEGAL METROLOGY

Licence to repair, weights, measures, weighing or measuring instruments.

Licence No Year

1- The Controller of Legal Metrology hereby grants to

(Name and address of Party or Parties) a licence to repair the following:-

(Include details of the types of weights, measures, weighing instruments or measuring instruments that are licenced to be repaired by the party)

2- The licence is valid for the party named above in respect of his workshop located at

3- This licence is valid from to

4- The repairer shall comply with the conditions noted below. If he fails to comply with any one, his licence is liable to be cancelled.

5- The party is licenced to repair weights, measures, weighting and measuring instruments in the areas mentioned below -

(Signature)

Controller of Legal Metrology
Govt. of Madhya Pradesh

(Seal)

Date.....

Place.....

Note: In the case of firm, its name with the names of all persons having any interest in the business should be given in paragraph (1).

Conditions of Licence

1. The person in whose favour this licence is issued shall. -

- (a) Comply with all the relevant provisions of the Act and rules for the time being in force;
- (b) Not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act or the rules for the time being in force;
- (c) Exhibit this licence in some conspicuous part of the premises to which it relates;
- (d) Comply with all general or special directions that may be given by the Controller of Legal Metrology;
- (e) Surrender the licence in the event of closure of business and/or cancellation of Licence;
- (f) (i) Present the weights, measures, weighing or measuring instruments, as the case may be, duly repaired to the Legal

Metrology Officer for undertaking verification and stamping as specified in rule 12(1), before delivery to the user.

(ii) In the case of weights, measures, weighing or measuring instruments, if they are serviced / repaired before the date on which the verification falls due, they shall be presented duly repaired to the Legal Metrology Officer for re-verification and stamping before delivery to the user.

(g) Submit the application for renewal of this licence as required under the rules within thirty days of expiry of the validity of the licence.

2. Every condition prescribed after the issue of this licence shall, if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the licence has been granted."

Renewal Entries

<p>Current No..... Date</p> <p>Renewed for</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Seal</div> <div style="text-align: center;"> <p>Controller of Legal Metrology</p> </div> </div>	<p>Current No..... Date</p> <p>Renewed for</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Seal</div> <div style="text-align: center;"> <p>Controller of Legal Metrology</p> </div> </div>
<p>Current No..... Date</p> <p>Renewed for</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Seal</div> <div style="text-align: center;"> <p>Controller of Legal Metrology</p> </div> </div>	<p>Current No..... Date</p> <p>Renewed for</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Seal</div> <div style="text-align: center;"> <p>Controller of Legal Metrology</p> </div> </div>
<p>Current No..... Date</p> <p>Renewed for</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Seal</div> <div style="text-align: center;"> <p>Controller of Legal Metrology</p> </div> </div>	<p>Current No..... Date</p> <p>Renewed for</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Seal</div> <div style="text-align: center;"> <p>Controller of Legal Metrology</p> </div> </div>

Licensing Forms
Form of Licence of Dealer
[See rule 9 (3)]

GOVERNMENT OF MADHY PRADESH
OFFICE OF THE CONTROLLER OF LEGAL METROLOGY
Licence to a dealer in weights, measures, weighing or measuring
instruments.

Licence No.

Year

1- The Controller of Legal Metrology hereby grants to

.....

(Name and address of party or parties) a licence to deal in the following (Indicate details of the types of weights and measures, weighing or measuring instruments that are licenced to be dealt with by party)

2- The licence is valid for the party named above in respect of his premises located at

3- This licence is valid from to

4- The dealer shall comply with the conditions noted below. If he fails to comply with any one of those his licence is liable to be cancelled.

(Seal)

(Signature)

Date

Controller of Legal Metrology

Place.....

Govt. of Madhya Pradesh

Note: In the case of firm its name with the names of all persons having any interest in the business should be given in paragraph (1).

CONDITIONS OF LICENCE

1. The person in whose favour this licence is issued shall. -
 - (a) Comply with all the relevant provisions of the Act and rules for the time being in force;
 - (b) Not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act or the rules for the time being in force;
 - (c) Exhibit this licence in some conspicuous part of the premises to which it relates;
 - (d) Comply with all general or special directions that may be given by the Controller of legal metrology;
 - (e) Surrender the licence in the event of closure of business and/or cancellation of Licence;
 - (f) Submit the application for renewal of this licence as required under the rules within thirty days of expiry of the validity of the licence.
 - (g) Not sell or offer, expose or possess for sale any non-standard weight or measure.

2. Every condition prescribed after the issue of this licence shall, if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the licence has been granted.

Renewal Entries

Current No..... Date	Current No..... Date
Renewed for	Renewed for
Seal	Seal
Controller of Legal Metrology	Controller of Legal Metrology
Current No..... Date	Current No..... Date
Renewed for	Renewed for
Seal	Seal
Controller of Legal Metrology	Controller of Legal Metrology
Current No..... Date	Current No..... Date
Renewed for	Renewed for
Seal	Seal
Controller of Legal Metrology	Controller of Legal Metrology

Schedule - IV

[See rule 9 (4) & (5)]

Fees relating to licences

- (1) Issue of licence / renewal of licence to:
- (i) Manufacturers Rs. 2500/- per year
 - (ii) Repairers Rs. 500/- per year
 - (iii) Dealers Rs. 500/- per year
- (2) Alteration of licence Rs. 250/-
- (3) Issue of duplicate copy of licence Rs. 100/-

Schedule - V

[See rule 9 (6)]

Government of Madhya Pradesh

Office of Controller of Legal Metrology

Register of licenced Manufacturers / Repairers / Dealers of weights, measures, weighing / measuring instruments

Licence Number	Date of issue/ renewal	Name and complete address of the manufacturer/repairer/dealer	Place where works hop/factory is situated	Articles to be manufactured/ repaired/ sold	Trade mark / monogram being used	Orders regarding cancellation of licence	Result of appeal	Signature of competent authority	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Note: Column (4) does not apply to dealers; column (6) does not apply to repairers and dealers.

Form LD-4

[See rule 11]

Register to be maintained by dealer in weights and measures.

- 1- Name and address of the dealer
.....
- 2- Description of the weight or measure
.....
- 3- (i) Dealer licence No.
.....
(ii) Date on which the licence was issued
.....
(iii) Period of validity of licence
.....
- 4- Particulars of order, if any suspending or
.....
revoking the licence.

S. No.	Details of weights and measurers	Month	Unsold stock from the previous month	Brought from within the state during the month	Brought from outside the state during the month	Total (4+5+6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Sold within the state		Sold outside the state		Total sold (8+10)	Balance (7-13)	Remarks
No. of items sold (8)	Dispatch voucher no. and date (9)	No. of items sold (10)	Dispatch voucher No. and date (11)	Name of the State (12)	(13)	(14)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Schedule - VII
[See rule 13 (3)]
Government of Madhya Pradesh
Office of the Controller, Legal Metrology,
Certificate of Verification

Name of Legal Metrology Officer No.....

I hereby certify that I have this day verified and stamped / rejected the under mentioned weights, measurers, etc. Belonging to Locality

Quantity	Denomination		Weighing instruments / Measuring instruments		Verification Fee	Carriage, conveyance adjusting charges etc.		
	Weights	Measures	Capacity	Class			Manufacturer	Type
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Total Rs. deposited vide Treasury Receipt / Money receipt .No. dated

Repaired by / Used by (Signature)

Next verification due on

Legal Metrology Officer

Note:- In the case of rejected weights, measures, etc. the Legal Metrology Officer shall give separate Certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

Schedule - VIII

[See rule 12 (1) & 15 (1)]

Fee payable for verification and Stamping of Weights and Measures and Weighing and Measuring Instruments

(1) WEIGHTS:**(a) Bullion Weights**

Denomination Fee per piece

	(Rs. P.)
(1)	(2)
10 kg	30.00
5 kg	20.00
2 kg	20.00
1 kg	20.00
500 g	15.00
200 g	15.00
100 g	15.00
50 g	15.00
20 g	15.00
10 g	15.00
5 g	15.00
2 g	15.00
1 g	15.00
500 mg	15.00
200 mg	15.00
100 mg	15.00
50 mg	15.00
20 mg	15.00
10 mg	15.00
5 mg	15.00
2 mg	15.00
1 mg	15.00

(b) Carat Weights:

Denomination Fee per piece

	(Rs. P.)
500 c (100 g)	20.00
200 c (40 g)	20.00
100 c (20 g)	20.00
50 c (10 g)	20.00
20 c (4 g)	20.00
10 c (2 g)	20.00
5 c (1 g)	20.00
2 c (400 mg)	20.00
1 c (200 mg)	20.00
0.5 c (100 mg)	20.00
0.2 c (40 mg)	20.00
0.1 c (20 mg)	20.00
0.05 c (10 mg)	20.00
0.02 c (4 mg)	20.00
0.01 c (2 mg)	20.00
0.005 c (1 mg)	20.00

(c) Cylindrical knob type weights:

Denomination Fee per piece

	(Rs. P.)
10 kg	20.00
5 kg	20.00
2 kg	15.00
1 kg	10.00
500 g	5.00
200 g	5.00
100 g	5.00

50 g	5.00
20 g	5.00
10 g	5.00
5 g	5.00
2 g	5.00
1 g	5.00

(d) Sheet metal Weights:

500 mg	5.00
200 mg	5.00
100 mg	5.00
50 mg	5.00
20 mg	5.00
10 mg	5.00
5 mg	5.00
2 mg	5.00
1 mg	5.00

(e) Iron hexagonal, knob type weights and weights:**parallelepiped**

Denomination Fee per piece

(Rs. P.)

50 kg	25.00
20 kg	20.00
10 kg	20.00
5 kg	20.00
2 kg	15.00
1 kg	10.00
500 g	5.00
200 g	5.00
100 g	5.00
50 g	5.00
20 g	5.00
10 g	5.00

5 g	5.00
2 g	5.00
1 g	5.00

(f) Standards Weights for testing of High capacity weighing machines :

Denomination	Fees corresponding to Max.	
	Permissible relative error:	
	0.5/10000	3.3/10000, 1.7/10000, 1.0/10000
100 kg	75.00	50.00
200 kg	150.00	100.00
500 kg	300.00	200.00
1000 kg	750.00	500.00
2000 kg	1500.00	1000.00
5000 kg	3000.00	2000.00

(2) Capacity Measures including Proving Measures and Tank Lorries:

Denomination Fee per piece

(Rs. P.)

100 l. and above	Rs. 50 for the 1st 100 Liter plus Rs. 7 for every additional 100 litre or part thereof
50 l	50.00
20 l	20.00
10 l	20.00
5 l	10.00
2 l	10.00
1 l	10.00
500 ml	10.00
200 ml	10.00
100 ml	10.00
50 ml	10.00
20 ml	10.00
10 ml	10.00

5 ml	10.00
2 ml	10.00
1 ml	10.00

(3) Length Measures:**(a) Non-Flexible -**

Denomination Fee per piece

(Rs. P.)

2 m	20.00
1 m	15.00
0.5 m	10.00
1 m graduated at every cm	25.00
0.5 m graduated at every cm	20.00

(b) Fabric Plastic / Woven / Steel tapes -

Class III Rs.10.00 /metre

Class II Rs.15.00 /metre

Class I Rs.25.00 /metre

(c) Folding Scales -

Denomination Fee per piece

(Rs. P.)

1 m	15.00
0.5 m	10.00

(d) Surveying Chain -

Denomination Fee per piece

(Rs. P.)

30 m	100.00
20 m	100.00

(4) Beam Scale Class A & B:

Denomination Fee per piece

(Rs. P.)

200 kg	400.00
--------	--------

100 kg	300.00
50 kg	150.00
20 kg	150.00
10 kg	150.00
5 kg	100.00
2 kg	100.00
1 kg	100.00
500 g and below	60.00

(5) Beam Scales Class C & D:

Denomination Fee per piece

	(Rs. P.)
1000 kg	200.00
500 kg	200.00
300 kg	200.00
200 kg	100.00
100 kg	100.00
50 kg	20.00
20 kg	20.00
10 kg	20.00
5 kg	15.00
2 kg	15.00
1 kg	15.00
500 g and below	10.00

(6) Non-Automatic weighing Instruments, Mechanical (analogue Indication) belonging to ordinary and medium accuracy class III and III :

Denomination Fee per piece

	(Rs. P.)
400 t	4000.00
300 t	3000.00
200 t	3000.00
150 t	2000.00

100 t	2000.00
80 t	2000.00
60 t	2000.00
50 t	2000.00
40 t	2000.00
30 t	2000.00
25 t	2000.00
20 t	2000.00
15 t	2000.00
10 t	1000.00
5 t	500.00
3 t	400.00
2 t	400.00
1500 kg	300.00
1000 kg	300.00
500 kg	300.00
300 kg	200.00
250 kg	200.00
200 kg	100.00
150 kg	100.00
100 kg	100.00
50 kg	100.00
30 kg	100.00
25 kg	60.00
20 kg	60.00
15 kg	30.00
10 kg	30.00
5 kg	30.00
3 kg	30.00
2 kg	30.00
1 kg	15.00
500 g and below	15.00

(7) Non-Automatic weighing Instruments, Electronic belonging to ordinary and medium accuracy Class III and III :

Denomination	Fee (Rs. P.)
400 t	4000.00
300 t	3000.00
200 t	3000.00
150 t	2000.00
100 t	2000.00
80 t	2000.00
60 t	2000.00
50 t	2000.00
40 t	2000.00
30 t	2000.00
25 t	2000.00
20 t	2000.00
15 t	2000.00
10 t	1000.00
5 t	1000.00
3 t	500.00
2 t	500.00
1500 kg	250.00
1000 kg	250.00
500 kg	250.00
300 kg	200.00
250 kg	200.00
200 kg	200.00
150 kg	200.00
100 kg	200.00
50 kg	200.00
30 kg	200.00
25 kg	200.00
20 kg	100.00

15 kg	100.00
10 kg	100.00
5 kg	100.00
3 kg	100.00
2 kg	100.00
1 kg	100.00
500 g and below	100.00

(8) Weighing Instruments, of High accuracy class II and Special Accuracy class I both Mechanical and Electronic :

Denomination	Fee (Rs. P.)
Exceeding 50 t	3000.00
Not exceed 50 t but exceed 10 t	2000.00
Not exceed 10 t But exceed 1 t	1000.00
Not exceed 1 t But exceed 50 kg	500.00
Not exceed 50 kg But exceed 10 kg	250.00
Not exceed 10 kg	200.00

(9) Automatic Weighing Machine:

Denomination	Fee (Rs. P.)
Exceeding 100 t	4000.00
Not Exceeding 100 t but Exceeding 50 t	3000.00
Not exceed 50 t but exceed 10 t	2000.00
Not exceed 10 t But exceed 1 t	1000.00
Not exceed 1 t But exceed 50 kg	500.00
Not exceed 50 kg But exceed 10 kg	250.00
Not exceed 10 kg	200.00

(10) Volumetric measuring Instruments :

(a) Dispensing pumps	1000.00
each pump.	
(b) Totalizing counters	500.00
(c) Other Instruments	

Exceeding 100 litres Rs.500.00 for the 1st 100 litres plus

Rs. 250.00 for every additional 100 litres or part thereof

Not exceeding 100 l but exceeding 50 l	500.00
Not exceeding 50 l but exceeding 20 l	250.00
Not exceeding 20 l	200.00

(11) Flow Meters:

Flow-rate up to 100 litre/minute	2000.00
above 100 l/minute to 500 l/minute	3000.00
above 500 l/minute	5000.00

(12) Liner Measuring Instruments :

Auto Rickshaw / Taxi meter	100.00
Other Meters	Rs. 50 for 1st 1 km or part thereof plus Rs. 5.00 for every additional 100 m or part thereof

(13) Clinical Thermometer :

Rs. 5.00 / thermometer

(14) Water Meter : 25.00

(15) Peg measure :

30 ml	50.00
60 ml	50.00
100 ml	50.00

(16) CNG Auto Fuel Pumps and LPG dispenser for motor vehicles :

every unit 1000.00

(17) Counter Machines

(i) up to capacity 10 kg :	Rs. 20.00
(ii) above capacity 10 kg :	Rs. 50.00

(18) Blood Pressure Measuring Instruments : Rs. 50.00

(19) Storage Tanks and Vats : Rs. 5000.00 for up to 25000 lit and Rs. 25000.00 for above 25000 litres

Schedule - IX

[See rule 22 (1)]

Form of appeal

Form of appeal against an order of a Legal Metrology Officer / Controller
Legal Metrology:-

- 1- Name and address of the appellant
- 2- No. and date of order of Legal Metrology Officer / Controller
Legal Metrology against which the appeal is preferred.

- 3- Whether the appellant desires to be heard in person or through an authorized representative.
4- Grounds of appeal

Schedule - X

[See rule 23]

Compounding sum for various offences

No.	Section and nature of offence, penal Section and fine provided in the penal Section for the first offence	Compounding sum Rs.	
		(3) *	(4) #
(1)	(2)		
1	S. 8 (3) Use of weight, measure or numeration other than the Standard weight, measure or numeration, Penal Section 25 , maximum Rs.25000	Rs.100	(1) For use of weight or measure Rs.2500 (2) For use of numeration Rs.500
2	S. 8 (4) Manufacture of weight or measure not conforming to Standards, Penal Section 27 , maximum Rs.20000	-	(1) For weight / measure Rs.2500 (2) For weighing/measuring instrument Rs.5000
3	S. 10 Transaction or dealing or contract in respect of goods etc., by weight, measure or number otherwise than prescribed, Penal Section 28 , maximum Rs.10000	Rs.100	Rs.1000
4	S. 11 Quote or make announcement or issue or exhibit of price list or changing of price otherwise than standard unit of weight or measure or numeration, Penal Section 29 , maximum Rs.10000	Rs.100	Rs.1000
5	S. 12 Demanding or receiving any article or thing on service in excess or less than the quantity specified in contract or agreement, Penal Section 30 , maximum Rs.10000	Rs.100	Rs. 5000
6	S. 17 Non-compliance of Maintenance of records, registers by manufacturer, dealer or repairer and non-production of weight, measure, document, register on demand, Penal Section 31 , maximum Rs.5000	-	(1) Dealer Rs.1000 (2) Repairer Rs.2000 (3) Manufacturer Rs.5000
7	S.18 (1) Non-compliance of declaration in respect of pre-packaged commodity by manufacturer / dealer / importer, Penal Section 36 (1) , maximum Rs.25000	Rs.100	(1) Dealer Rs.2000 (2) Manufacturer / Importer Rs.5000
8	S. 18 (1) Non-compliance of net quantity-requirement of pre-packaged commodity by manufacturer / importer, Penal Section 36 (2) minimum Rs.10000 and maximum Rs.50000	-	Rs. 15000

9	S. 23 Non-compliance Manufacturer of weight or measure with licence, Penal Section 45 , maximum Rs.20000	-	Rs.5000
10	S. 23 Non-compliance of Repair / sale of weight or measure with licence, Penal Section 46 , maximum Rs.5000	-	(1) For sale Rs.1000 (2) For repair Rs.2000
11	S. 24 Use of Un-verified weight or measure in transaction or protection, Penal Section 33 minimum Rs. 2000, maximum Rs.10000	Rs.2000	Rs.2500
12	S. 33 Sell of Un-verified weight or measure Penal Section 33 minimum Rs.2000, maximum Rs.10000	-	Rs. 2500
13	S. 34 Sell or delivery of commodities by non-standards weight or measures, Penal Section 34 minimum Rs.2000 and maximum Rs.10000	Rs.2000	Rs.2500
14	S. 35 Rendering services by non-standard weight or measure, Penal Section 35 , minimum Rs.2000 and maximum Rs.5000	Rs.2000	Rs. 2500
15	S. 47 Tampering with licence, Penal Section 47 , maximum Rs.20000	-	(1) Dealer Rs.1000 (2) Repairer Rs.2000 (3) Manufacturer Rs.5000
16	S. 53 (3) Provision of any rule made under the Act Penal Section, 53 (3) , maximum Rs.5000	Rs.100	Rs.500

Note - The sign * indicates the compounding sum for Itinerant / Weekly Market vendor.
The sign # indicates the compounding sum for other than Itinerant / Weekly Market vendor.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
LALIT DAHIMA, Dy. Secy.